लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र / Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची / CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 22 जुलाई, 1975/31 आषाढ़, 1897 (शक)

No. 2, Tuesday, July 22, 1975/Asadha 31, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	1—6
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	6—8
संयुक्त औद्योगिक एककों में सरकार, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के शेयरों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 571 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया।	Correction of answer to Starred Question No. 571 re. Share of Government, L.I.C. and U.T.I. in Joint Industrial Units—Laid .	8
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	Announcement re. Business of the House .	8
कार्य मंत्रणा समिति 56 वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Fifty-sixth Report	8
समिति के लिये निर्वाचन तम्बाकू बोर्ड	Election to Committee Tobacco Board	9
संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirtys-econd Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee .	9
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1975—76 विवरण पेश किया गया।	Supplementary Demands for Grants (General), 1975-76 . . . . . *Statement presented*	10
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित किया गया।	Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Bill— . . . . . *Introduced*	10
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1975	Statement re. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Ordinance, 1975	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . . .	10
संविधान (39 वां) संशोधन विधेयक— पुरःस्थापित किया गया	Constitution (Thirty-ninth) Amendment Bill —*Introduced*	10

विषय	SUBJECT	PAGES
वित्त (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित किया गया	Finance (Amendment) Bill—*Introduced*	13
आपात स्थिति की उद्घोषणा के अनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. Approval of Proclamation of Emergency	13
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	13—16
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Smt. Indira Gandhi	16—20
श्री एच० एम० पटल	Shri H. M. Patel	20—21
श्री फ्रंक एंथनी	Shri Frank Anthony	21—22
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	22—24
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	24—25
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	25
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	25—28
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	28—29
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh	29—30
डा० कैलास	Dr. Kailas	30
श्री सी० एच० मुहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya	31—32
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	32—33
श्री त्रिदिव चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	33—34
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	34
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	35—36
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	36
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvati Krishnan	36—37
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa	37—38
श्री राम सहाय पांडेय	Shri R. S. Pandey	38
कुमारी मणिबेन बल्लभाई पटेल	Kumari Maniben Patel	39
श्री मूल चन्द डागा	Shri Mool Chand Daga	39
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	39—40
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	40—41
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartika Uraon	41—42
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	42
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	42—43

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री जांबूवंत धोटे	Shri Jambuwant Dhote . . .	42—43
श्री मोहम्मद जमीललुर्रहमान	Shri Mohd. Jamilurrahman . .	43
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . . .	43—45
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal . .	45—46
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma .	47—48
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	48—49
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram .	49

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दाम णी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री आन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंड रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचे ट्रिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(हं)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रहमण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्राभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप–मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री]	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 22 जुलाई, 1975/31 आषाढ, 1897 (शक)

Tuesday, July 22, 1975/Asadha 31, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair*

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र (व्यवधान)।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीनी उद्योग जांच आयोग का प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन (1974)—खंड 1 और 2 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** सख्या एल० टी० 9791/75]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी की ओर से निम्ननिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 14 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सां० आ० 203 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्वाचन संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 26 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० आ० 229 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9792/75]

(2) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 40 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० आ० 187 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) पजाब राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 41 जो दिनांक 24 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 226 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** सख्या एल० टी० 9793/75]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (सवर्ग में पद सख्या निर्धारण) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 13 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 277 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 13 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 278 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 16 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 281 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अखिल भारतीय सेवायें (संयुक्त संवर्ग) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 650 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सा० सं० नि० 692 जो दिनांक 7 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 15 नवम्बर, 1974 की अधिसूचना सख्या सा० सं० नि० 470 (ङ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(छः) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1975, जो दिनांक 14 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सं० नि० 724 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । **देखिए** सख्या एल० टी० 9794/75]

(2) भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 10क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० आ० 282 (ङ) जो दिनांक 17 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सं० आ० 287 (ङ) जो दिनांक 20 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) सं० आ० 288 (ङ) जो दिनांक 20 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । **देखिए** संख्या एल० टी० 9795/75]

आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम तथा आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; वित्त लेखे, 1971–72, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 266 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(2) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 267 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 9796/75]

(3) वर्ष 1971–72 के लिये संघ सरकार के वित्त लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति :–

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 9797/75]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सा० सां० नि० 255 (ङ) से सा० सां० नि० 263 (ङ) जो दिनांक 12 मई, 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 329 (ङ) और 330 (ङ) जो दिनांक 11 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 335 (ङ) जो दिनांक 17 जून, 1975 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 768 जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 364 (ङ) जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 368 (ङ) जो दिनांक 30 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 810 जो दिनांक 5 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 9798/75]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सा० सां० नि० 264 (ङ) और 265 (ङ) जो दिनांक 12 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 266 (ङ) से सा० सां० नि० 276 (ङ) जो दिनांक 12 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एक-एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 284 (ङ) जो दिनांक 19 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 294 (ङ) जो दिनांक 23 मई, 1975 के भारत के राज में प्रकशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 666 जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 667 जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 704 जो दिनांक 7 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 9799/75]

रेलवे रैड टैरिफ (चौथा संशोधन) नियम

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेलवे रेड टैरिफ (चौथा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या सा० सां० नि० 800 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं:—

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 9800/75]

दिल्ली बेलन मिल गेहूं उत्पाद (मिल द्वार तथा खुदरा) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली बेलन मिल गेहूं उत्पाद (मिल द्वार तथा खुदरा) मूल्य-नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 जुलाई, 1975 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 402 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 9801/75]

'वाई इमर्जेन्सी' प्रकाशन का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के बारे में विवरण

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं "वाई इमर्जेन्सी" प्रकाशन का हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 9802/75]

रामपुर रजा लाइब्रेरी नियम

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रामपुर रजा लाइब्रेरी नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 357 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9803/75]

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

PARLIAMENTARY COMMITTEES—SUMMARY OF WORK

महासचिव : मैं 1 जून, 1974 से 31 मई, 1975 तक की अवधि के लिये 'संसदीय समितियां—कार्य का सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

महासचिव : महोदय, मैं 11 अप्रैल, 1975 को इस सभा को दी गई सूचना के बाद पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 6 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975

(2) अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, 1975

(3) भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक 1975

(4) वित्त विधेयक, 1975

(5) तम्बाकू उपकर विधेयक, 1975

(6) नागालैण्ड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975

महोदय, मैं 11 अप्रैल, 1975 को इस सभा को दी गई सूचना के बाद पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 7 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं-

(1) संविधान (37वां संशोधन) विधेयक, 1975

(2) अखिल भारतीय सेवाएं विनियम (संरक्षण) विधेयक, 1975

(3) टोकियो कन्वेशन विधेयक, 1975

(4) रामपुर रजा लाइब्रेरी विधेयक, 1975

(5) संविधान (36वां संशोधन) विधेयक, 1975

(6) कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन विधेयक, 1975

(7) संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1975

संयुक्त औद्योगिक एककों में सरकार, जीवन बीमा निगम, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 571 में शुद्धि करने वाला विवरण

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 571 *re* SHARE OF GOVERNMENT, L.I.C. AND U.T.I. IN JOINT INDUSTRIAL UNITS

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): महोदय, श्री टी० ए० पाई की ओर से मैं संयुक्त औद्योगिक एककों में जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के शेयरों के बारे में श्री पी० रंगनाथ शिनाय के तारांकित प्रश्न संख्या 571 के अनुपूरक प्रश्न के 9 अप्रैल, 1975 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा (2) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : जी हां, मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

लोक सभा में 9-4-71 को तारांकित प्रश्न संख्या 571 के बारे में पूछे गए कुछ पूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय मैंने बताया था कि कम्पनी अधिनियम की विद्यमान परिभाषा के अनुसार यदि किसी कम्पनी की 51 प्रतिशत पूंजी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में आने वाले निगमों की हो तो वह कम्पनी एक सरकारी, कम्पनी हो जाती है।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 617 में सरकारी कम्पनी की परिभाषा निम्न प्रकार की गई है :—

> "इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकारी कम्पनी का आशय ऐसी किसी कम्पनी से है जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत चुकता अंश पूंजी केन्द्रीय सरकार किसी एक

[श्री ए० पी० शर्मा]

राज्य सरकार अथवा सरकारों, या आंशिक रूप में केन्द्रीय सरकार की तथा आंशिक रूप में एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों की हो अथवा वह इस प्रकार पारिभाषित सरकारी कम्पनी की किसी सहायक कम्पनी की हो।"

ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार पहले दिए गए उत्तर में संशोधन के लिए मैं सदन से निवेदन करता हूं। गलती का पता न चल सकने के कारण यह संशोधन इससे पूर्व नहीं किया जा सका।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

Correction of Answer to USQ No. 1450 re: Suspension of Steel Supplies

Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): I beg to lay a statement (i) correcting the reply given in the 27th February, 1975 to unstarred Question No. 1450 by Sarvashri P. Saminathan and H. K. L. Bhagat regarding suspension of steel supplies and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

(Placed in the Library. *See* No. LT 9804)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

Announcement re: Business of the House

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज की बैठक म आपात उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प पर आगे चर्चा हेतु 7 घंटे का समय नियत करते की सिफारिश की है। मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

56वां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि कार्य-मंत्रणा समिति ने आज की अपनी बैठक में आपात स्थिति की घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किये हैं। मंत्री जी कल उत्तर देंगे। ससदीय कार्य मंत्री अब कार्यमंत्रणा समिति का अन्य विषयों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं कार्यमंत्रणा समिति का 56वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

संविधान (32वां संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के लिए सदस्य की नियुक्ति
CONSTITUTION (THIRTY SECOND AMENDMENT) BILL—APPOINTMENT OF MEMBER TO JOINT COMMITTEE

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री नीरेन घोष के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री नीरेन घोष के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—1975-76
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1975-76

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): महोदय, मैं वर्ष 1975-76 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक गतिविधि
CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SUMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का सशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 का सशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हू।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

संविधान (39वां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (THIRTY-NINTH) AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्य इस विधेयक का विरोध करना चाहते थे। हमने बैलेट किया उसमें श्री पी० जी० मावलंकर का नाम आया। श्री मावलंकर।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का विरोध करता हूं क्यों कि इसमें कई खतरनाक बातें हैं तथा आनुषंगिक उपबन्ध किये जा रहे हैं जो संविधान की भावना के सर्वथा विपरीत हैं। आज सुबह पत्रों के साथ जो ज्ञापन परिचालित किया गया है उसमें कहा गया है कि चालू सत्र की अवधि थोड़ी होने तथा विधेयक को इसी सत्र में पारित किये जाने की आवश्यकता के कारण अध्यक्ष के निदेश 19-ख के अनुसार सदस्यों को विधेयक की प्रतियां उसके पुरःस्थापित किये जाने के 2 दिन पूर्व उपलब्ध करना सम्भव नहीं हुआ है। मैं अनुभव करता हूं कि विधेयक में ऐसी खतरनाक बातें हैं जिन्हें देखते हुए निदेश की व्यवस्था को किसी भी हालत में नजर-अन्दाज नहीं किया जाना चाहिए तथा सभा के प्रत्येक सदस्य को विधेयक की जटिलता का अध्ययन करने के लिये दो दिन का पूरा समय दिया जाना चाहिए जिससे वह पूरी तैयारी से इसका समर्थन या विरोध कर सके।

उक्त ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक की संतुष्टि को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि हम संविधान में आपातकालीन शक्तियों के लिए किये गये उपबन्धों पर नजर दोड़ायें तो पता चलेगा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसे उपबन्ध किये जिससे कार्य-पालिका आपात स्थिति या भीतरी गड़बड़ी का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला कर सके। संविधान के निर्माताओं ने चाहा था कि भारत एक ऐसा प्रभुसत्तासम्पन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र बने जहां शक्तियां जनता से प्राप्त हों और इन शक्तियों का प्रयोग संविधान में निर्धारित लोक-तांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जाये।

संवैधानिक सरकार का अर्थ एक सीमित सरकार है। अर्थात एक लोकतांत्रिक संविधान कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित रखता है। यदि कार्यपालिका की शक्तियों पर लगे अंकुश को एक एक करके हटा दिया जायेगा तो समूचा संविधान ही निरर्थक हो जायेगा। संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य यह कदापि नहीं था कि आपातस्थिति की शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र लोकतंत्रीय गणतंत्र के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिये किया जाये।

वे यह कभी नहीं चाहते थे कि इसमें जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनका इस प्रकार प्रयोग किया जाये जैसा कि इस समय की जा रही है। यह भी याद रखिए कि ये शक्तियां उस समय शामिल की गई थीं जब भारत स्वतंत्र हुआ था और उसके लिए बाहरी और आन्तरिक सभी प्रकार के खतरे थे। अतः जब कोई वास्तविक खतरा नहीं है तो संविधान की इस व्यवस्था का प्रयोग करना लोकतंत्र का हनन करना है। यद्यपि यह विधेयक बहुमत के कारण पास हो जायेगा फिर भी मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जहां तक संतुष्टि का सम्बन्ध है यदि कार्यपालिका आदेश में यह कहा गया हो कि "मैं संतुष्ट हूं" तो इस बात का पता कैसे लगाया जायेगा कि यह संतुष्टि संगत, सही एवं तथ्यात्मक है ? इस संतुष्टि पर किसी न किसी को विचार करना ही चाहिए और यह विचार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः यदि इस संशोधन का उद्देश्य

[श्री पा०ज० मावलंकर]

सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिहीन एवं प्रभावहीन बनाना है तथा यह बताना है कि वह संतुष्टि पर निर्णय नहीं दे सकता तो यह न केवल लिखित रूप में बल्कि भावात्मक रूप में भी प्रजातंत्र की हत्या होगी ।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान का सम्मान करें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने विधेयक के विरोध में जो कुछ भी कहा है वह इस समय संगत नहीं है । वास्तव में संविधान सभा ने यह माना था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि होनी चाहिए और उन्हें इसकी घोषणा करनी चाहिए । संविधान के निर्माताओं ने स्वयं यह सोचा था कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए और इन्हें राजनीतिक फैसले पर छोड़ दिया जाना चाहिए । न्यायालयों के निर्णयों में यह कहा जा चुका है कि ये राजनीतिक मामले हैं जो न्यायपालिका के अन्तर्गत नहीं आते । फिर भी बहुत से मामलों को लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बार-बार एक ही प्रश्न उठाया जाता रहा है । न्यायालय में जाने वाले कुछ लोगों के मन में कुछ शंका हो सकती है जबकि मेरे मन में ऐसी कोई शंका नहीं है । इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है । इस विधेयक का यही एक मात्र उद्देश्य है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes	244	विपक्ष में Noes	63

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं इस सम्बन्ध में एक घोषणा करना चाहता हूं । जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति में उल्लेख किया गया है कि यह संविधान संशोधन विधेयक कल लिया जायेगा और इसे कल 3 बजे तक पूरा करना है' ।

अध्यक्ष महोदय : संविधान संशोधन विधेयक कल लिया जायेगा और इसे हमें कल 3 बजे तक पूरा करना है । यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है ।

वित्त (संशोधन) विधेयक

FINANCE (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्त अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

आपात स्थिति की उद्घोषणा के अनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प—जारी

STATUTORY RESOLUTION *RE.* APPROVAL OF PROCLAMATION OF EMERGENCY—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री जगजीवन राम द्वारा कल पेश किये गये संकल्प पर हम चर्चा जारी रखेंगे ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता—दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय में श्री जगजीवन राम द्वारा आपात कालीन स्थिति की घोषणा के बारे में कल पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यदि हम उन कारणों का विश्लेषण करें जिनसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू करने की आवश्यकता हुई है तो यह स्पष्ट होगा कि हमारी आन्तरिक सुरक्षा को तथा देश की आजादी को खतरा पैदा हो गया था । प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को अपने भाषण में कहा था कि देश की एकता के लिए तथा प्रगति के लिए हमें यदि संविधान में अन्यथा कोई और भी परिवर्तन करने पड़ें तो इसमें हिचकिचाहट की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए

SHRI VASENT SATHE *in the Chair*

लोकतंत्र को चलाने के लिए मुख्य साधन मतदाता हैं और दूसरा साधन संसद अथवा सभा तथा तीसरा है समाचार पत्र और चौथा साधन है न्यायपालिका तथा पांचवां है प्रशासन अथवा कार्यपालिका ।

[श्री प्रिय रंजनदास मुंशी]

इस देश के मतदाताओं ने न केवल कांग्रेस को ही किन्तु सभी राजनीतिक दलों को सत्ता में आने का अवसर दिया है । 1967 के बाद भारत के अधिकांश राज्यों में चाहे मार्कसवादी हों अथवा दक्षिण पंथियों के नेतृत्व वाला संयुक्त विधायक दल हो, सब सत्ता में आये । यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा ही में नहीं, वरन हरियाणा पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हुआ ।

स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए तथा यह जानते हुए कि क्यों लोग कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने 1969 के बंगलौर के अधिवेशन में कतिपय निर्णय लिये तथा कांग्रेस के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया । जैसे ही ये नये कार्यक्रम क्रियान्वित हुए जनता ने उसी कांग्रेस को फिर समर्थन देना आरम्भ किया जिसके नेतत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तथा जिसके नेतत्व में देश को आजादी मिली थी ।

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान आरम्भ में देश का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देश का नेतृत्व किया । फिर 1969 में लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन करना आरम्भ किया । 1971 में लोगों मे कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत दिया और जनसंघ, अकाली दल तथा मार्क्सवादी लोगों को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे । वे जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करने लगे । ये लोग चुनावों को दोषपूर्ण मानने लगे और उनके विरोध में आन्दोलन करने लगे । जब ये राजनीतिक दल जनता में लोकप्रिय न रहे तो 1971 के बाद विभिन्न गलत तरीकों से लोगों का बहिष्कार करने लगे । इस प्रकार जनता का विश्वास खोने के बाद ये लोग संसद अथवा विधान सभा को उखाड़ने के तरीके प्रयोग करने लगे । इसमें वे गुजरात में सफल हुए । उन्होंने वहां हिंसा आदि का सहारा लिया और श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विधान सभा को समाप्त करने में सफल हुए । फिर उन्होंने संसद और विधान सभा की गरिमा को नष्ट करना आरम्भ किया ।

लोकतंत्र का तीसरा उपकरण समाचार पत्र है । जब हम संसद में चुन कर आये तो कांग्रेस एवं श्रीमती गांधी की विजय के विरुद्ध कहा जाने लगा । इसके बाद जब श्री जयप्रकाश नारायण ने सरकार की बुराई करनी शुरू की तो समाचार पत्रों ने भाषण की स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इसका पूरा प्रचार किया तथा सम्पादकीय टिप्पणियां तक की गई । लेकिन जब सरकार की ओर से कुछ कहा गया, संसद में कुछ कहा गया और राजनीतिक दलों द्वारा कुछ कहा गया तो समाचार पत्रों ने न केवल उसे प्रकाशित किया बल्कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। इस प्रकार प्रजातंत्र का तीसरा आधार भी जाता रहा ।

लोकतंत्र का चौथा उपकरण न्यायपालिका है । जब इस संसद ने कुछ नियमों में संशोधन किया और भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों को समाप्त किया , बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विधान प्रस्ताव किया और संविधान में और संशोधन किये और उनको जब अदालत ने अस्वीकृत किया तो इन लोगों ने अदालत की जय-जय कार के नारे लगाये और जब अदालत ने संसद द्वारा पास किये गये संशोधनों का समर्थन किया तो इन लोगों ने कहा कि न्यायपालिका पक्षपात करती है । वे नहीं जानते कि वे क्यों न्यायपालिका का

आदर करते हैं । किन्तु जब प्रधान मंत्री उच्चन्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में गई तो वे चाहते थे कि 24 घंटे के अन्दर वे इस्तीफा दें । क्या यह लोकतंत्र के अनुरूप है ? गुजरात में क्या हुआ ? जब इन लोगों ने देखा कि उन्हें बहुमत नहीं मिला तो ये लोग चिमनभाई पटेल के पैरों में गिरे और उन्होंने सरकार बनाई । उनके नेता मोरारजी देसाई ने, जो अपने आप को महात्मागांधी के एक मात्र अनुयायी मानते हैं, भूख हड़ताल की । किन्तु महात्मागांधी ने भूख हड़ताल का इस प्रकार कभी भी प्रयोग नहीं किया । उन्होंने सार्वजनिक जीवन के शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया । श्री मोरारजी देसाई ने अपने 20 वर्ष के लोकतांत्रिक जीवन में कभी-भी भूख हड़ताल का प्रयोग नहीं किया । उन्होंने कर राहत तथा मजदूरों को बोनस दिलाने के लिए कभी भूख हड़ताल नहीं की । हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनके जीवन की रक्षा की । किन्तु जब प्रधान मंत्री उच्चतम न्यायालय में गई तो प्रधान मंत्री के पद पर भी धब्बा लगाया गया और बाहर के देशों की दृष्टि में भी प्रधान मंत्री को अपमानित किया गया । यह काम कुछ थोड़े से लोगो ने किया । वे लोग यह पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं । उन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद को भी निदेश देने शुरू किये । विद्यार्थियों को कहने लगे कि वे स्कूल न जायें । किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों में से किस किस के बच्चे स्कूल नहीं गये । इन लोगों ने गरीबों के बच्चों का शोषण किया ।———(व्यवधान).....

यही कारण है कि अनुच्छेद 352 में एक संशोधन पेश किया जा रहा है । राष्ट्रपति ने इस प्रकार की कार्यवाही कर बहुत ही उचित किया है । यह गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रपति, सरकार तथा देश की उचित प्रक्रिया रही है । मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के पद को कोई खतरा नहीं था किन्तु खतरा लोकतंत्र के लिए था ।

भारत में आपातकालीन स्थिति लागू करने का विरोध अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कर रहे हैं तथा वहां के समाचारपत्र कर रहे हैं । इससे जान पड़ता है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र है । देशभक्ति को कार्यरूप देना आवश्यक है ।

इन सब बातों के बाद हमें एक महत्वपूर्ण बात अनुभव करनी चाहिए । देश का भविष्य युवापीढ़ी के हाथ में है । अत. हमारे बुजुर्ग हमें एक अवसर दें और यह स्पष्ट करें कि गत तीन वर्ष तक अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र में इन लोगों ने क्या किया । वर्तमान आपातकालीन स्थिति का समर्थन वे देश कर रहे हैं जो मुक्ति में विश्वास करते हैं किन्तु विरोध वे देश करते हैं जो स्वतंत्रता के विरोधी हैं ।

हमें अपने कार्यक्रमों को तेजी से पूरा करना चाहिए किन्तु जो लोग इनसे सहमत नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में कोई सद्भावना नहीं दिखाई जानी चाहिए । मैं विपक्षी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी त्रुटियों को समझें और इन नीतियों का समर्थन करें ।

श्री गोपालन ने कल अपने भाषण में एक बात गलत कहीं है कि आनन्दमार्गियों का मार्क्सवादियों को मारने के लिए प्रयोग किया गया । वास्तव में गत तीन वर्षों में आनन्दमार्गियों, मार्क्सवादियों और नक्सलवादियों का गठबन्धन हुआ और कांग्रेसी मारे गये ।

[श्री प्रिय रंजनदास मुंशी]

मार्क्सवादी दल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें समर्थन देना चाहते हैं किन्तु वे नहीं दे पा रहे हैं और मुझे आशा है कि वह दिन दूर नहीं है जब बड़ी संख्या में मार्क्सवादी अपने नेताओं का उल्लंघन कर श्रीमती गांधी के कार्यक्रम को समर्थन देंगे ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कल यह आलोचना की गई थी कि सरकार का उद्देश्य दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध कार्यवाही करना नहीं है किन्तु वामपंथियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है । मैंने कल का भाषण बड़े ध्यान से सुना किन्तु किसी भी साम्प्रदायिक दल की आलोचना नहीं की गई है क्योंकि उनका उनके साथ गठबन्धन है ।

कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं । इनमें सबसे बड़ी संख्या राजनीतिक लोगों की नहीं है किन्तु उन लोगों की है जो हिंसा अथवा अपराध करते हैं और जो समाज विरोधी तत्व के रूप में जाने जाते हैं । इनके बाद वे लोग हैं जो साम्प्रदायिक दलों अथवा गुटों से सम्बन्धित हैं और आतंक तथा हत्याएं करते हैं ।

यह कहा गया है कि कर्मचारियों पर जुल्म किया गया है किन्तु सम्भवतः माननीय सदस्य ने यह ध्यान नहीं दिया है कि समस्त देश के मजदूरों ने हमारी इस कार्यवाही का स्वागत किया है तथा हमें पूरा समर्थन दिया है । हमने जो कार्यक्रम घोषित किया है उससे वास्तविक शक्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता मिली है और इसी कारण मजदूर संघों ने इस आर्थिक कार्यक्रम का अत्यधिक स्वागत किया है और पूरा सहयोग देने का वचन दिया है । इस थोड़े से समय में ही हमारे अनुमान से कहीं अधिक औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है ।

वास्तव में जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनके दल में ही इस बात से भ्रम हो गया है कि देश के बाहर कौन कौन से लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं कौन उनका समर्थन कर रहे हैं ।

कुछ विपक्षी मित्र परिवर्तनवाद और समाजवाद का प्रचार कर रहे हैं । मैंने कभी यह दावा नहीं किया है कि मैं एक सिद्धान्तवादी समाजवादी हूं । समाजवाद के बारे में मेरा अपना मत है कि भारतीय समाज में कैसा समाजवाद होना चाहिए उस लक्ष्य की ओर मैं तत्परता से अग्रसर होती जा रही हूं । इसकी गति धीमी है किन्तु मेरा विश्वास है कि हम निश्चितरूप से इस रास्ते पर प्रगति करेंगे । और यही कारण है कि यद्यपि लोग कई बार हमसे अप्रसन्न रहे हैं किन्तु संकट की हर घड़ी में सभी वर्ग के लोगों ने एक हो कर हमारा साथ दिया है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तलवार लकड़ी की है । किन्तु खिलौना-तलवार लेने का क्या तात्पर्य है । वे इससे कौन सा खेल खेल रहे हैं । उनका वास्तविक शस्त्र वह प्रशिक्षण है जिससे वे लोग अपनी शाखा में नवयुवकों को देते हैं । मैं उस हिंसा की निन्दा करती हूं जिसका वे प्रचार कर रहे हैं किन्तु उनका वास्तविक हथियार कुछ और ही है । यह उनका खुसफुसाहट अभियान है ।

कल एक विपक्षी सदस्य ने जानना चाहा कि फासिस्टवाद क्या है। फासिस्टवाद का अर्थ केवल दमन ही नहीं है और यह अर्थ भी नहीं है कि पुलिस अधिक शक्ति का प्रयोग करे या लोगों को जेल भेजा जाये, यह तो धोखा मात्र है। यह झूठ का प्रचार करना है तथा किसी को बलि का बकरा बनाना है ताकि आगे बढ़ा जाये और जन संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का यही प्रमुख हथियार रहा है। ये दोनों वास्तव में भिन्न भिन्न लगते हैं किन्तु इनमें कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने हर प्रकार का झूठ कहा है, आपातकालीन स्थिति के समय से ही नहीं किन्तु पिछले चार वर्षों से वे यह सब करते आ रहे हैं।

आज भी बड़े पैमाने पर फुसफुसाहट हो रही है कि किसी को मकान में ही नजरबन्द किया है किसी ने भूख हड़ताल की है कोई मर गया है, आदि। लोकतंत्र की यह परिभाषा उनकी अपनी है हमारी नहीं है। हम झूठ और धोखा धड़ी में विश्वास नहीं करते और न हम ऐसे लोक तन्त्र में विश्वास करते हैं।

मेरी कहीं से उद्धरण देने की आदत नहीं है किन्तु "अवर नेशनहुड डिफाइन्ड" नामक पुस्तक में श्री गोलवालकर ने लिखा है कि जर्मनी ने अपने देश से यहुदियों को निकाल कर यह सिद्ध किया कि भिन्न भिन्न जातियों के लोक एक साथ नहीं रह सकते। भारत को इससे सबक सीखना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए।

विभाजन के बाद जो मुसलमान भारत में रहे उनके बारे में यह कहा गया है कि हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे एकाएक ही देशभक्त हो जायेंगे। बल्कि पाकिस्तान के बनने से मुसलमानों का आतन्क सौगुना बढ़ गया है और ये पाकिस्तान को हमारे देश पर आक्रमण करने में मदद करेंगे।

मैं अहमदाबाद जांच प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहती हूं :—

"इस साक्षी से यह पता चलता है कि मुसलिम सम्पति पर संगठित आक्रमण किये जा रहे थे और लारियों पर उपद्रवियों को तथा हथियारों को ढोया जा रहा था और भीड़ का मार्गदर्शन जन संघ का कोई कार्यकर्ता कर रहा था।"

यह सितम्बर, 1969 की बात है। दिसम्बर, 1971 में तेलीचेरी में हुए दंगों के बारे में अतिवेदन में कहा गया है :—

"मुझे इसमें सन्देह नहीं कि तेलीचेरी की हिन्दुओं में मुसलिम विरोधी भावनाएं भड़काने में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सक्रिय भाग लिया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ईसाईयों के बारे में क्या कहता है :—

"जहां तक ईसाईयों का सम्बन्ध है वह देखने से तो अहानिकर प्रतीत होते है किन्तु वह न केवल अधार्मिक है बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं।"

[श्रीमति इन्दिरा गांधी]

गांधी जी के नेतृत्व के बारे में और नारी और प्रजातन्त्र के बारे में उनके विचारों को देख कर सब अनुमान लगा सकते हैं कि अभी विचारधारा कैसी थी और यह देश को किस ओर ले जाना चाहते थे।

फासिस्टवाद के बारे में उन्होंने पूछा है "फासिस्टवाद झूठ फैलाने और किसी को बलि का बकरा बनाने के अतिरिक्त हिंसा का प्रचार करने और युवा वर्ग को हिंसा और आतक में प्रशिक्षण देना है।"

हम जानते हैं इन दलों का हिंसा में अटूट विश्वास है और यही लोग मोर्चा का समथन कर रहे हैं। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसने आरम्भ से अब तक फासिस्टवाद का विरोध किया है।

हमने संविधान के अनुसार कार्यवाही की है किन्तु इस बारे में भी यह कहा जा रहा है कि हिटलर ने भी ऐसा ही किया था। किन्तु बात बिल्कुल ऐसी नहीं है अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ें और आपको पता चल जायेगा कि दोनों स्थितियों में कोई समानता नहीं है। मुझे इतिहास की पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता इस लिये नहीं है क्योंकि उस समय में मैं जर्मनी में थी और जो कुछ हो रहा था मैं जनती हूं।

मैं विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि वह किसी ऐसे एक भी राष्ट्र्याध्यक्ष का नाम बता सकते हैं जिसने इतने वर्षो तक इतना सहन किया हो विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिसमें इस प्रकार के झूठ, और हिंसा को इतने समय तक सहन किया गया हो (**व्यवधान**) . . . . अब हमें लोकतन्त्र पर भाषण दिये जा रहे हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा था कि 1967 के आम चुनावों के परिणामस्वरूप जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, उसके लिये राष्ट्र को इस शून्य को भरने के लिये सेना की सहायता लेनी चाहिए ताकि वह इस अस्थिरता को ठीक कर दें। क्या लोकतन्त्र में आस्था ऐसी ही होती है ?

जैसा कि कल कहा जा चुका है कि संसद का सत्र बुलाना ही इस बात को सिद्ध करता है कि भारत में लोक तन्त्र विद्यमान है। विपक्षी दल के सदस्यों का अधिक संख्या में यहां उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि सभी सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह कार्यवाही पूर्णतया हमारे संविधान के अन्तगत है। यह संविधान को नेष्ट करने के लिये नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा और अनुरक्षण और लोकतन्त्र की सत्ता के लिये की गई है।

हमारे संविधान-निर्माता यह जानते थे कि इस प्रकार भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे न केवल बाहरी आक्रमण से बल्कि आन्तरिक अशान्ति से भी राष्ट्र जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है इसके लिये ही उन्होने आपातकालीन उपबन्धों की अलग से व्यवस्था की है। अब विपक्षी मोर्चा अपनी गतिविधियों से लोकतन्त्र को ही समाप्त करना चाहते थे, सेना में और पुलिस में असन्तोष फैलाना चाहते थे। हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिये कि लोक-तन्त्र से विनाश में किसकी रुचि है। जब भी इस सम्बन्ध में चर्चा आई है हमने हमेशा ही

यह कहा है कि किसी भी पद्धति में दोष हो सकते हैं, उन्हें बातचीत करके दूर किया जा सकता है क्योंकि किसी देश में कोई भी पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

गुजरात में जो हिंसात्मक आन्दोलन हुआ है, सदन उससे अवगत है। किसी ने भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिलाया कि वहां किस प्रकार त्याग पत्रों की मांग की गई। गुजरात विधान सभा भंग किये जाने के बाद सार्वजनिक सभाओं में खुली घोषणाएं की गई थी कि भारत में संसदीय प्रणाली उपयुक्त नहीं है, चुनाव प्रणाली, जिस की संविधान में व्यवस्था है, पर निरन्तर प्रहार किया जाता रहा है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इस चुनौती का किसने सामना किया तथा संविधान और संसद के औचित्य को किसने स्वीकार किया? विघटनकारी आन्दोलन के तथा कथित नेताओं ने अपने अभियान का प्रबन्ध आर० एस० एस० को देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। जबकि उन्हें राष्ट्रजीवन साम्प्रदायिक दंगों और साम्प्रदायिक नफरत भड़काने में आर० एस० एस० भी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी।

मूल विषयों, प्रजातन्त्र एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में गम्भीरता से विचार करने का समय आ गया है। राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं राजनीतिक अधिकार तभी बने रह सकते हैं जब तक राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे। निरकुंशवाद से व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राजनीतिक अधिकारों का हनन होता है। निर्वाचित सरकार की नीतियों के विरुद्ध जन असन्तोष की अभिव्यक्ति को नियमित करने की आवश्यकता के बारे में कोई सन्देह नहीं है। हम हमेशा यह कहते हैं कि हमने ऐसी आलोचना को रोकने के लिये कभी प्रयत्न नहीं किया।

प्रजातन्त्र में प्रतिनिधि संस्थाओं का अस्तित्व लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुनने की इच्छा की अभिव्यक्ति एवं राष्ट्रीय मामलों में लोगों का सहयोग निहित है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि एक बार प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाये और बहुमत के अनुमोदन से सरकार बन जाए तो यह सरकार उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये स्वतन्त्र है जिसका वचन उन्होंने जनता को दिया था।

भारत में प्रजातन्त्र का विकास विलक्षण परिस्थितियों में हुआ है। लाखों गरीब लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिये और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिये समानता का अवसर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वे सरकारों को चुन रहे हैं और अपनी भावना के अनुरूप सरकार के कार्य में भाग ले रहे हैं। अतः प्रश्न व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों एवं जनता के सामूहिक सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का है।

जनता ने आपात स्थिति का स्वागत किया है क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष देश को खतरे में डाल रहा था। और हमें उस समय जब कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सम्बन्धों तथा ढांचे में नाजुक परिवर्तन हो रहे हैं।

विश्व के किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता कहीं अधिक है और अधिकांश देश हमें लोक तन्त्र पर भाषण दे रहे हैं जो ऐसे शासन के समर्थक हैं जिसका मैं उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझती।

[श्रीमति इन्दिरा गांधी]

आपात स्थिति की उद्घोषणा से पहले व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता वास्तव में सामान्य स्थिति नहीं थी। नितान्त उच्छृखलता और राजनैतिक स्वच्छंदता के दिन वापस नहीं आ सकते लोकतन्त्र का अर्थ है हम सब को आत्म-निग्रह करना चाहिये। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष को कार्य करने की अनुमति दे, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दे और संगठन की स्वतन्त्रता दे। लेकिन विपक्ष का भी उतना ही कर्तव्य है कि वह लोकतन्त्र नष्ट करने या सरकार को निष्क्रय बनाने के लिये उस अधिकार का दुरुपयोग न करे।

अन्ततोगत्वा जनता ने आपात स्थिति का स्वागत किया है। अब राष्ट्रीय जीवन का नया युग आरम्भ हुआ है। इस काल में हमें यह दिखाना चाहिए कि कैसे आत्मानुशासन का वातावरण लाया जाये। हमें इस दुःखद अनिवार्यता को आगे बढ़ने और अपने कार्य क्रमों की लक्ष्यसिद्धि के लिये नये अवसर परिवर्तित करना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि जिन आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है उसमें क्या कुछ नहीं है। अब इसमें नयापन यह है कि अब इन्हें लागू करना आसान हो गया है। सभी वर्गों के लोगों ने इसमें अपने सहयोग देने की बात कही है।

हमने कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की है। मैं विपक्ष से प्रयत्न करने और हमारे इस प्रयास में सहायता करने का अनुरोध करती हूं जिससे इस दुखःद आवश्यकता को साथ-साथ काम करने के अवसर में बदला जा सके और देश को आगे लाया जा सके।

श्री एच० एम० पटेल (ढुढुका) : आज समाचार पत्रों में केवल मन्त्री महोदय श्री जगजीवन राम का ही भाषण छपा है। क्या यह उचित है? आपात स्थिति क्यों आवश्यक है? इस सम्बन्ध में देश के सामने केवल सरकारी दृष्टिकोण ही रखा गया है परन्तु विपक्ष का वह दृष्टिकोण नहीं रखा गया कि यह क्यों कर आवश्यक है।

संसद लोगों के अधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षक है और यह एक मंच है जहां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि आगे आकर अपने विचार रखते हैं यदि उनके विरोधी विचार प्रकाशित नहीं किये जाते तो और उन लोगों को नही बताये जाते जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है तो उनके यहां आने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः सेन्सर के लिये कोई मार्गदर्शन होना चाहिये जिससे उनके रचनात्मक विचारों को छापा जा सके।

मूल प्रश्न यह है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा क्यों की गई। सरकार का कहना यह है कि उसे ऐसी कार्यवाही की आशंका थी जिससे सरकार का कार्य ठप्प हो जाता, संकल्प प्रस्तुत करने वाले मन्त्री महोदय के कथानानुसार इन लोगों का षडयन्त्र व्यापक एवं सुगठित था और यह स्थिति वर्ष 1967 से चलती आ रही थी तथा इस समय यह गतिविधि इतनी सुगठित थी कि केवल आपात स्थिति की घोषणा करके ही इसको समाप्त किया जा सकता था। यदि षडयंत्र शक्तिशाली होता तो क्या आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के बाद षडयंत्रकारियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? कहीं कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई और न ही कहीं प्रदर्शन हुआ। लोग यह देख कर स्तब्ध रह गये कि ऐसे समय में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई जबकि स्थिति सामान्य थी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अनेक अवसरों पर ठीक समय पर कार्यवाही करने के बारे में प्रधानमंत्री ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है लेकिन इस अवसर पर समयोचित कार्यवाही की यह भावना कुछ अन्य बातों से प्रभावित हुई जिस के फ़लस्वरूप यह गलत सिद्ध हुई है।

आपात कालीन स्थिति की उद्घोषणा के समय से सरकार ने जो कदम उठाये हैं, हमें उन पर नजर डालनी चाहिये। राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं, अनेक तस्करों, जमाखोरों आदि की गिरफ्तारी की गई है। अध्यादेश जारी किये गये हैं। दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची टांगने और स्टाक दिखाने के लिये कहा गया है। इसके बाद आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। सरकारी दफ्तरों में अनुशासन लाने के लिये परिपत्र जारी किये गये हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इन सब बातों के लिये आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा जरूरी थी?

सरकार ने अनेक योजनायें बनायीं लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण ये योजनायें कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। यदि मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है और मूल्य बढ़े हैं तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है? क्या विरोधी दलों ने सरकार के काम में बाधा डाली है?

यह बहुत ही आवश्यक है कि सरकार आपात स्थिति की उद्घोषणा को यथाशीघ्र समाप्त करने के मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। यह देश मूल रूप में हिंसक नहीं है। प्रेस-सेंसर और अन्य उठाये गये कदमों से आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें बजाय इसके कि सामान्य स्थिति स्थापित हो, अनिश्चितता और हिंसा की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। मुझे तो यही आशंका है। हो सकता है कि आप इससे सहमत न हों। परन्तु हमें आशा है कि आप इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर गंभीरता के साथ विचार करे और सबसे पहले प्रेस-सेंसर को वापस ले, क्योंकि इस तरह के सेंसर से अवांछनीय अफवाहों को प्रोत्साहन मिलता है और लोगों के मन में शंका और भय उत्पन्न होता है। सबसे पहले सरकार को यह कह कर उदारता प्रदर्शित करनी चाहिये कि अखबारों में हमारे भाषण छपें और इसके पश्चात सरकार आपात स्थिति की उदघोषणा को समाप्त करने के मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। धन्यवाद।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित–आंग्ल भारतीय) : सभापति महोदय, आंतरिक गड़बड़ी से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के कारण अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपात स्थिति की उद्घोषणा एक बहुत सख्त कदम है। इसके बाद उठाये गये कदम भी बड़े ही कठोर हैं। प्रेस पर सैंसर लगाना भी कम कठोर कदम नहीं है।

कुछ समय से देश में बढ़ रही हिंसा और विघटनकारी प्रवृत्तियों से मैं बहुत चिन्तित हुआ हूं। मैंने इस सभा में और सभा से बाहर कई बार इस बारे में चेतावनी दी है। 25 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए मैंने कहा था कि राष्ट्र में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। मैंने इस बात पर बल दिया था कि संसद और अनेक विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा के नियमों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। प्रेस के स्तर में भी गिरावट आई। प्रेस सस्ती सनसनीखेज खबरों की प्रतिस्पर्धा कर रहा था।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुशासनहीनता का जोर था । कोई ही दिन ऐसा होता था जबकि छात्र लूट, घेराव और धोखा देने के कार्य नहीं करते थे । प्रोफेसर और अध्यापक भी पीछे नहीं थे । मजदूर संघों को वेतन में अधिक रुचि थी परन्तु काम और उत्पादन में कम चिन्ता थी जिससे उत्पादन अधिक प्रभावित हुआ ।

रेलवे में हड़तालें लगातार होती ही रहीं । मई में एक बड़ी हड़ताल हुई । अनुशासन-हीनता और तोड़फोड़ के संदेह के कारण बिजली और ऊर्जा का बन्द होना एक साधारण बात बना दी गई थी । सरकारी कर्मचारी आलसी बन गये थे । छात्रों को अध्ययन न करने और विधायकों तथा संसद सदस्यों का घेराव करने तथा यहां तक कि उन्हें अपमानित करने और पीटने के लिये भड़काया गया । हाल के हाल विद्रोह के लिये एक खुले निमंत्रण थे ।

सभापति महोदय, यह सब मई में हो रहा था । संसदीय लोकतंत्र में कानून के लिये आदर होता है । परन्तु आदर की यह भावना पहले राजनीतिज्ञों तथा बाद में राष्ट्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग से समाप्त हो चुकी है । अनुशासनहीनता और अराजकता का वातावरण व्याप्त है । अतः 9 मई के अविश्वास प्रस्ताव में मैंने इस बात पर बल दिया था कि केन्द्र मजबूत होना चाहिये । मैंने यह भी कहा था कि जिस दिन केन्द्र कमजोर हो जायेगा वह दिन अराजकता, अनुशासनहीनता और विखंडन का सूचक होगा । 13 जून को मैंने समाचारपत्रों में इलाहाबाद के निर्णय में प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द घोषित किये जाने का समाचार पढ़ा । मैंने तुरन्त श्रीमती गांधी को तार दिया कि राष्ट्र हित में उनका प्रधानमंत्री बने रहना आवश्यक है । इसके बाद के पत्र में मैंने लिखा कि निर्णय तकनीकी कारणों पर आधारित है । इन्हें सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा । मैंने यह भी लिखा कि यदि इस समय उन्होंने अपना पद त्याग दिया तो देश में अराजकता और हिंसा फैल जायेगी ।

मैं श्री जगजीवन राम से अपील करना चाहूंगा कि जो लोग निवारक निरोध के कार्य की देखरेख करते हैं, वे अत्यधिक सावधानी बरतें । अनुभव से मुझे यह पता लगा है कि पुलिस, सीमाशुल्क और राजस्व अधिकारी प्रायः बेकसूर लोगों को रिश्वत न मिलने के कारण जेल में डाल देते हैं । इसलिये सरकार निम्न श्रेणी के अधिकारियों को यह बता दे कि यदि भ्रष्टाचार का एक भी मामला उनके खिलाफ पकड़ा गया अथवा किसी भी आदमी को नजर-बन्द करने में उन्होंने असावधानी बरती, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जायेगा ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने सरकार की संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने क लिये तथ्य पेश किये हैं और संगत दलीलें दी हैं । कुछ सदस्यों ने आपात स्थिति को, जो 1971 में लागू की गई थी, आज तक जारी रखने के औचित्य पर आपत्ति व्यक्त की है । बंगलादेश में पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति के समाप्त होने के बाद भी अन्तर्राष्ट्रीय और कतिपय विध्वंसक राष्ट्रीय शक्तियों के भारत में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न बराबर जारी रहे । ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे इस बात का पता लगता है कि यहां एक गम्भीर षड़यंत्र रचा जाता रहा है । बंगलादेश की समस्या के समाधान के बाद भी चीन की युद्धप्रियता बनी रही है। पाकिस्तान को हथियार देने पर रोक हटाने के बाद

अमरीका ने एशिया में अधिकाधिक अड्डे बनाने चाहे । यह कहा गया है कि अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों के केप आफ गुड होप से आस्ट्रेलिया तक कम से कम 27 अड्डे हैं । हिन्द महासागर में दिएगो गार्सिया के द्वीप के बारे में जो कुछ हो रहा है वह भी आपको पता है । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को समझने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारत के विरूद्ध चीन और अमरीका सांठगांठ करते रहे हैं ।

जब ऐसी स्थिति चल रही हो तब क्या कोई देश शान्त या चुप बैठ सकता है । इसी कारण सरकार 1971 में घोषित आपात स्थिति को वापस लेने में संकोच दिखाती रही है । परन्तु आन्तरिक स्तर पर हमने राजनीतिक दलों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी थी । लेकिन परिणाम यह हुआ कि हमने देखा कि विदेशी शत्रु देश हमारे कुछ दलों से सम्बन्ध रखने की कोशिश करते रहे हैं । हमें यह भी पता है कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर रेलवे हड़ताल का कितना अधिक प्रभाव पड़ा है । यदि इस हड़ताल पर काबू न पाया जाता तो यह हड़ताल ही देश में अराजकता फैलाने को काफी थी । भारत सरकार के सामने इस प्रकार की स्थिति थी ।

वियतनाम की जनता के साहस की हरेक ने प्रशंसा की है । वियतनाम युद्ध के दौरान हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रधान ने राष्ट्रपति जानसन को एक व्यक्ति के माध्यम से यह सन्देश भेजा था कि वियतनाम में अमरीकी आक्रमण एक "धर्म युद्ध" है । और उन्होंने अमरीका का पूरा समर्थन किया । इस संदेश को आर० एस० एस० के पत्र 'आर्गनाइजर' ने छापा था । जिन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया, उनका ऐसा रवैया और आचरण था ।

देश की आन्तरिक सुरक्षा को उत्पन्न खतरे को ध्यान में रख कर क्या कोई सचाई से यह कह सकता है कि देश में आपात स्थिति घोषित करने का कोई कारण नहीं था । बाबू जगजीवनराम ने बताया है कि षड़यंत्र 1967 से रचा जा रहा था । इसका मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस ने, जो कि इस देश की जनता की आकाक्षांओं का प्रतीक है, इस देश में अपना ऐसा ठोस आधार तैयार कर लिया है कि कोई दूसरा दल इस दल को काफी लम्बे समय तक लोगों के दिलों से नहीं हटा सकता । हमने समय-समय पर लोगों की आकांक्षाओं पर विचार किया है । हमने पददलितों का उत्थान करने के लिये नीतियां बनायी हैं ।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए]

SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*

श्री जगन्नाथराव जोशी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अस्तित्व और कार्यकलापों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की है । मेरे पास एक पर्चा है जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्य-क्षेत्र का उल्लेख है । आज के अंतरिक्ष युग में श्री जोशी जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सांस्कृतिक कार्य का भारतीय संस्कृति के समर्थन में कैसे बखान कर सकते हैं ।

जैसा कि सभी जानते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के लिये सतत संघर्ष करते रहे हैं । इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या भी अधिक है । वे शान्ति से नहीं रह सकते । केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही उनको संरक्षण प्रदान कर रही है क्योंकि हमारा और हमारे दल का धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है ।

[डा० हेनरी आस्टिन]

आज यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखें तो हम देखेंगे कि सभी समाजवादी देशों ने आपात स्थिति की उद्घोषणा से सम्बन्धित उठाये गये हमारे सभी कदमों का स्वागत किया है। लगभग सभी गुट निरपेक्ष देशों ने भी इसका स्वागत किया है । हम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने संविधान में भी परिवर्तन कर सकते हैं और हम करने जा रहे हैं ।

मुझे इसका दुःख है कि हमारे कुछ साथी पकड़े गये हैं । मुझे इसका भी दुःख है कि समाचारपत्रों पर सेंसर लगाय गया है ।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि कोई भी देश, चाहे चीन हो या अमरीका या इंगलैंड, जे० पी० को सहन नहीं कर सकता था । स्वतंत्रता के लिये उन्होंने जो योगदान किया उसके लिये हम उनका सम्मान करते हैं । परन्तु सेना से विद्रोह करने को, पुलिस से आज्ञा का उल्लंघन करने को, सीमा सुरक्षा दल से भी आज्ञा न मानने को कहना तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिसमें मंत्रिमंडल स्तर के एक मंत्री की रोमांचपूर्ण हत्या की जाये या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर आक्रमण किया जाये, सचमुच ऐसे कार्य हैं जिसे कोई भी देश सहन नहीं कर सकता ।

आपात स्थिति के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं कहता हूं कि मार्क्सवादी दल ने, जो आर्थिक कार्यक्रमों का समर्थन करता है, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी तत्वों के साथ सांठगांठ कर ली है । अब समय आ गया है जबकि वे यह अनुभव करें कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी आज के लिये एक बड़ा खतरा हैं । जब तक यह दल दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी के साथ रहेगा, तब तक उसे अलग रखा जायेगा । लोग उसे अलग थलग करेंगे। इसके विपरीत यदि सभी वामपंथी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत आ सकते हैं, तो हम देश में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के लिये मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे जिससे नये युग का सूत्रपात होगा जिसे हमारी नेता प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी लायेंगी और धर्मनिरपेक्षवाद और समाजवाद के लक्ष्यों की ओर देश को ले जायेंगी ।

Shri S. A. Shamim (Srinagar): Mr. Chairman, Sir, as an independent Member I would like to point out that for sometime past certain opposition parties had not been making use of parlimentary forum in a proper way. Privileges of Parliament were abused and lot of time in Parliament was wasted in character assassination. This should have been checked in time.

In the past a number of Members had sumitted memorandam urging the Government to ban the organisations like R.S.S. and Jamat-e-Islami, but no action was taken by the Government, although they had full powers to take action. But now Government have banned these organisations. Why have the Government moved in the matter only after the 12th June, 1975? The Government should have taken drastic measures against parties and organisations, which were acting in an objectionable manner. Drastic action should have been taken against 4-5 persons who were fomenting corruption and indiscipline. Insteal of doing it, the entire country has been made victim of the stern measures now taken by Government.

The Members, who used to create noising scenes in the Parliament, were defeated in the elections of 1971. You could again seek mandate from the people

and see that you have again enjoyed majority. These persons could get no chance to come back. But it did not happen so. Emergency has been proclaimed on 26th June. Hence galleries are vacant. Nothing can be exported from here. From whom you are afraid? If the people are with you, why should you be afraid of them. It is very sad thing. In this country nobody enjoyed such a majority. What is the use of enjoying such an overwhelming majority? Still you are not in a position to run the democratic set up. You had better ask somebody, else to run it.

The opposition, which was weak, took advantage of the judgment of the Allahabad High Court to further their ends. They did not even wait for the decision of the Supreme Court. But Mrs. Gandhi is trying to crush her opponents by making use of the emergency provisions. Although she is not a dictator, she is marching ahead on the path of dictatorship. It appears that she has lost faith in parliamentary system. If this is the position she should not mince words and come out clearly that she wants to change the present system.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Mr. Chairman, there was a need for curbing the activities of the fascist forces. The press in our country was in the group of monopolists and this press was publishing material against the Prime Minister and other leaders. It is proper that certain restrictions have been imposed on the press and the declaration of emergency is the right step taken by the Prime Minister.

For the last two years I have been repeatedly pointing out that Shri Jayaprakash Narain is in collusion with fascist forces, R.S.S. and Naxalites. Thus collusion developed after the visits of Kissinger and Nixon to Peking. China is in league with U.S.A. to encircle India. At this juncture the fascist forces inside the country had become active under the leadership of Jayaprakash Narain. The emergency has been declared to deal with the nefarious designs of these forces. This should continue so long as it is necessary to fight these fascist forces.

Fascism of today has adopted a new method. It divides forces of socialism. They form paramilitary organisations. Today C.I.A. exists in every nock and corner of the country. There was a talk to stant a civil war here. All the smugglers and black marketeers were in league with one another. They stood with Shri Jaya Prakash Narain. Smt. Indira Gandhi has frustrated the intentions of U.S. imperialism and Naxalites to conspire and block the development of the country. Emergency was necessary to meet this situation. Today you will see that people are going the offices in time. Railway has increased its output from 25 per cent to 65 per cent. I had been suggesting for this for the last two years. Now it should continue. With these words I support emergency.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति द्वारी जारी की गयी आपातकालीन उद्घोषणा और श्री जगजीवन राम द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं । मैं प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को भी समर्थन प्रदान करता हूं ।

[श्री जी० विश्वनाथन]

आन्तरिक अशान्ति के कारण देष में पहली बार आपात स्थिति को उद्घोषना की गयी है। वाह्य आक्रमण के कारण तो दो बार आपात स्थिति की उद्घोषणा की जा चुकी है। परन्तु इस बार स्थिति भिन्न है। जो लोग आपात स्थिति का विरोध करते हैं, वे इसका विरोध लोकतंत्र के नाम पर करते हैं। जयप्रकाश नारायण के साथी और अनुयायी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये आपात स्थिति का विरोध करते हैं। परन्तु वे इस देश में किस प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं? हमें इसका फैसला उनकी अतीत की गतिविधियों से करना होगा।

महोदय, श्री जयप्रकाश नारायण ने अपना आन्दोलन बिहार में शुरू किया। सार्वजनिक सभाओं में उन्होंने कतिपय लक्ष्यों की खुलेआम घोषणा की। उन्होंने देश के कोने-कोने में जाकर खुलेआम जोर-शोर से अपने लक्ष्य घोषित किये। ये लक्ष्य थे—छात्र एक वर्ष के लिये स्कूलों, कालेजों और परीक्षाओं का वहिष्कार करें; विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिये विवश करने हेतु विधायकों का घेराव; विधायकों का सामाजिक बहिष्कार; एक समानान्तर विधान सभा का गठन; सरकारी कार्यालयों के कार्य को अस्तव्यस्त करना; कर न देने का अभियान; न्यायालयों का बहिष्कार; समानान्तर सरकारों और न्यायालयों की स्थापना; जनता सरकार और जनता अदालतें; और सशस्त्र सेनाओं, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को उकसाना। मैं उनके साथियों और अनुयायियों से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस देश में इस प्रकार की सरकार, इस प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें स्कूल और कालेज बंद हो जायेंगे; और इस देश के युवक सड़कों पर घूमेंगे? वह कर न देने का अभियान चलाना चाहते हैं। कर की वसूली कौन करेगा? उनका कहना है कि वह अपनी जनता सरकारें बनायेंगे और वे ही कर को वसूली करेंगे।

हमें पहले ही पता था कि यह आन्दोलन क्या कर रहा है। उन्होंने खुलेआम यह स्वयं स्वीकार किया है कि उनके ही अनुयायियों ने लगभग 17 लाख रुपये का हेरफेर किया है। कोई लेखा-जोखा नहीं है। यदि जनता सरकार द्वारा कर की वसूली की जायेगी तो इसका लेखा-जोखा कौन रखेगा? इस राशि को कौन खर्च करेगा?

हमारे द्रमुक मित्र भी जो एक राज्य में शासन कर रहे हैं, इस आपात स्थिति का विरोध करतें हैं। उन्होंने अपनी कायपालिका में एक संकल्प पारित किया कि भारत एक तानाशाही देश बन गया है और इन्दिरा गांधी ने इस देश में तानाशाही की आधार शिला रखी है। उनके विरोध करने का प्रयोजन क्या है? क्या द्रमुक सरकार का सचमुच लोकतंत्र में विश्वास है? जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता है और लोकतंत्र के नाम पर आपात स्थिति का विरोध करता है, उसने हमारे नेता एम० जी० आर० को विधान सभा में, जिसके वह सदस्य हैं, बोलने की अनुमति नहीं दी। (**व्यवधान**)। ऐसा व्यक्ति इस देश में लोकतंत्र की बात कैसे कर सकता है? तामिलनाडु सरकार आपात शक्तियों का दुरूपयोग कर रही है। अण्णा द्रमुक दल के सदस्यों और अन्य विरोधी दलों के सदस्यों के विरूद्ध हजारों झूठे मामले दायर किये जा रहे हैं। ऐसे द्रमुक लोगों के खिलाफ कोई कायवाही नहीं की जा रही है जो विरोधी दलों के बड़े-बड़े लोगों की हत्यायें कर रहे हैं।

यधपि वे आपात स्थिति का विरोध करते हैं, तथापि वे आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विदेशों के सहयोग से प्रतिक्रियावादी और फासिस्टवादी शक्तियां

लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं। मेरी जानकारी के अनुसार द्रमुक कार्यपालिका ने एक बैठक में एक संकल्प पास किया। इस संकल्प को साइक्लोस्टाइल कराकर इस देश में सभी दूतावासों को भेजा गया तथा मद्रास में सभी वाणिज्य दूतावासों को भेजा गया मेरी जानकारी के अनुसार दो या तीन संसद सदस्य कुछ बड़े-बड़े दूतावासों मे गये और वहां बातचीत की। मैं केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : उनके नाम बताइये।

श्री जी० विश्वनाथन : उनका पता लगाने और कार्यवाही करने का काम केन्द्रीय सरकार का है। मुझे खेद है कि सभा के कुछ सदस्य हमारे साथ वाद विवाद में भाग लेने के लिये उपस्थित नहीं हैं। जहां व्यक्तिगत संबंध और राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है वहां राष्ट्रीय सुरक्षा ही पहले है। इसीलिये हम आपात उद्घोषणा का समर्थन करते हैं।

महोदय, हमें बड़ी खुशी है कि इस देश में अनुशासन लाया जा रहा है। कुछ सरकारी कार्यालयों मे यह पहले ही लाया जा चुका है। इस आपात स्थिति का उपयोग हिंसा को समाप्त करने के लिये, चाहे यह उग्र दक्षिण पंथ करें या उग्र वामपंथ किया जाना चाहिये। कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों मे उत्पादन बढ़ना चाहिए। हड़तालों और तालाबंदी से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। नियोक्ता और पूंजीपति आपात उद्घोषणा का प्रयोग श्रमिक वर्ग और श्रमिक संघों की वास्तविक मांगों को कुचलने के लिये न करें। सरकार एक ऐसा तंत्र कायम करे जो मजदूरों की सच्ची शिकायतों को दूर करे।

प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की है। हमें अभी तक इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। हमारे राज्य में, एक दो चीजों को छोड़कर, कीमतें नहीं गिरी हैं। मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम सभी राज्यों में कड़ाई से लागू किया जाये।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैंने आर्थिक कार्यक्रम के 20 सूत्रों में से 15 सूत्र लागू किये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार लागू किये जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने गरीब लोगों को पट्टे दिये हैं तमिलनाडु में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके पास 3000 से 4000 एकड़ से अधिक जमीन है। परन्तु उन्होंने सरकार को एक एकड़ भी जमीन नहीं दी है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर दबाव डालें और यह सुनिश्चित करें कि 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

समाचार पत्रों पर सेंसर दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में है परन्तु मेरे राज्य में नहीं है। मेरे विचार में पांडिचेरी या तमिलनाडु में सेंसर लागू नहीं है।

मैंने देश में विघटन वादी, शक्तियों के बारे में पहले ही उल्लेख किया है। राज्य स्वायत्तता के नाम पर पृथकता के बीज हमारे राज्य में बोये जा रहे हैं।

[श्री जो० विश्वनाथन]

मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राजनीतिक और सरकारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये आपातकालीन शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करेगी। यह भ्रष्टाचार समचे देश में व्याप्त है। हमारे राज्य में राजनीतिक और सरकारी भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। सरकारी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक भ्रष्ट है। जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमें जैल में डाल दिया जाता है। हमारे अनेक मित्र जेल में हैं। आंसुका का दुरुपयोग किया जा रहा है। जीवन बीमा निगम की इमारत जल कर राख हो गई है। 10 दिन बीत गये हैं। किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है? मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कार्य अपने हाथ में ले और यह पता लगाये कि यह किस प्रकार का तोड़ फ़ोड़ का कार्य था और उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

वास्तव में यदि आप हमारे राज्य में तमिलनाडु के लोगों को इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिये आपात कार्य करना चाहते हैं और सचमुच 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं तो आप शीघ्र ही करुणानिधि सरकार को निकाल बाहर करें। सभी भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध जो आरोप हैं उनके लिये उन पर कार्यवाही की जाये। हमने राष्ट्रपति को पहले ही एक सूची दी है। इस पर अभी तक कोई कार्यवाह नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि आपात स्थिति का प्रयोग ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने के लिये किया जाये। धन्यवाद।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Mr. Chairman, Shri Shamim, in his speech, has made many times, some wrong, false and baseless remarks. I request you that these remarks should be exempted from the proceeding of the House.

I rise to support the Resolution moved by Shri Jagjivan Ram in the House. The question is why the emergency has been declared and why such situation arose? I think it is not a happy situation for any country, particularly for our own country. But who are responsible therefor? The emergency has been declared to deal with the forces which were posing a threat to the internal security of the country. There was a atmosphere of violence and anarchy in the country. Nobody was feeling secure.

Shri Shamim and some honourable Members have said much about censorship. The fact is that some papers were indulging false propaganda and it is in order to stop this evil that this step has been taken by the Government.

So far Government offices are concerned, there was no discipline among the employees. They did not come to office punctually and wasted much of their time in gossiping. This had got to be set right. We have seen after the declaration of emergency that there has been a marked improvement in this regard. Not only movement of papers has been accelerated, but corruption, and bribery have also been checked.

Mr. Chairman, so far as Bihar is concerned, everybody was well aware of the kind of atmosphere which had been created there in the name of revolution. There was open goondaism and M.L.As. were forced to resign. This had created a big danger for our Republic. This is why after the declaration of emergency people heaved a sigh of belief and normal life has been restored.

The 20-point programme put forth by the Prime Minister will go a long way in mitigating the sufferings of the common man and it should be implemented soon.

Shri Ram Dev Singh (Maharajganj): I am the only person left in my party. All others have been arrested. I would, therefore, request you to give me more time.

I strongly oppose the motion regarding emergency. The people, democracy and Parliament of this country have been attacked. This is an unusual attack. I recollect those days when we were agitating under the leadership of Mahatma Gandhi. The world war was going on and we were opposing it. But English rulers did not attack the public, Congress and the press of this country in the way they are being attacked today. All the arguments advanced in support of emergency are unsound and baseless and it is throwing dust in the eyes of the people. The fact is that on 12th June, the Prime Minister found her Chair shaking and in order to save herself from this danger the drama of emergency was enacted. It has been stated that there was violence for the dissolution of Gujarat Legislative Assembly and there were violent activities in Bilhar also for the dissolution of the Legislative Assembly as also the activities of Jan Sangh. But at that time where were you.....(*interruption*). You dissolved Kerala Legislative Assembly, Uttar Pradesh Legislative Assembly and Bihar Legislative Assembly. All these activities were democratic. But when public wants the dissolution, it is turned a violence and riot. Peaceful processions have been called violent. Even if there was violence, why did you not enforce emergency then. But when you lost your case in Allahabad High Court all these things became necessary. Today, Prime Minister has wrongly participated in the debate. She has no right to participate. She can only reply as the Prime Minister (*Interruption*).

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): I have a point of order. When Supreme Court has given its judgement that she can participate as a Prime Minister, is it not the insult of the Court to condemn it here?

Shri Ram Dev Singh: Then all the Chief Ministers were called and their confidence gained and a motion moved. But on the other hand when people hold meetings you are afraid of them. When you claim the support of the people you should not be so much afraid of. It is bad that Shri Raj Narain has been arrested and deprived of court hearing. All these acts are not acts of boldness. People are aware of every thing. How long you will continue as Prime Minister by throwing dust in the eyes of the people.

Emergency is said to be the panacea for all the ills. As regards the 21 point programme, about which much is being said, there is nothing new in it. Socialist party has put forth much more than this. Moreover from 21 point programme, one point has already been deleted. At this rate in the course of time the whole programme would wither away.

For the murder of Shri L. N. Mishra and an attempt on the life of Justice Ray, Opposition parties are being blamed. The factual position is not being disclosed to the public. A drama has been enacted. How long dust will be

[Shri Ram Dev Singh]

thrown in the eyes of the public; It is strange that the man whose name appeared in regard to the attempt made on the life of Justice Ray has not so far been interrogated. If he is interrogated, factual position will come to light.

In the name of emergency the whole picture of democracy is being spoiled. Freedom of press and radio has been withdrawn. But this will not go for long.

So many things are being said regarding Shri Jaya Prakash Narayan. It appears as if he is the most indisciplined person. His services for the country are being forgotten.

I would advise for lifting the emergency and releasing all the leaders and seeking their cooperation. Opposition members are ready for extending cooperation but suitable atmosphere should be made for that. This can be done by ruling party.

Today, the Communist Party is supporting Congress Party. This is because of the fact that they see the Prime Minister disfiguring the democracy and it would be good for them to extend their cooperation to the Congress Party in this task.

An allegation has been made against Shri Jaya Prakash Narayan that he has called upon the police and army to revolt. The fact is that he has only asked them not to obey wrong orders and at the same time to remain loyal to the country and there is nothing wrong in it.

Mr. Chairman: I would request the members not to take more than 10 minutes.

Dr. Kailas (Bombay-South): Mr. Chairman, Sir, I support the motion moved by Shri Jagjivan Ram. I have heard the speeches of all my friends of the Opposition and hoped that they would be convinced about the reasons for which emergency has been enforced and advise their friends not to do what they have been doing. The Opposition cannot change Government in the way they have been behaving in Parliament. The role of opposition should not be to incite army, police and the State employees. It does not suit the opposition parties to stage 'dharna' in support of their demand of resignation by the Prime Minister just within 20 days of the judgement of Allahabad High Court and launch Satyagraha—and threaten the Chief Justice indirectly that he should not include himself in the bench set up to decide the appeal to Prime Minister.

श्री इशहाक सम्भली पीठासीन हुए ।

[Shri Ishaque Sambhali in the Chair.

Does democracy allow the creation of such an atmosphere when country is facing so many difficulties, when there is shortage of foodgrains and ultimately supply of coal? People have expressed satisfaction at the enforcement of emergency and complain of its late enforcement. Today everything is being expedited and there is discipline everywhere whether they are students or teachers or employees. If you go through the 10 point programme prepared by Shri Nanaji Deshmukh who will be clear about the reasons of enforcement of emergency. Amongst others it contained:

(i) विभिन्न स्तरों पर आन्दोलन समितियां स्थापित करना ।

(ii) विरोधी दलों की संयुक्त बैठक बुलाना और सभी राज्यों में कार्यक्रम आयोजित करना ।

(iii) दिल्ली में लोक संघर्ष समिति का कार्यालय स्थापित करना और धन इकट्ठा करना ।

(iv) अगर उच्चतम न्यायालय विपरीत निर्णय दें तो दिल्ली बन्द का आयोजन करना तथा प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की मांग करना ।

(v) 21 संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल का प्रधान मंत्री को मिलना तथा त्यागपत्र की मांग करना ।

(vi) विद्यार्थियों और युवकों के जुलूस निकालना तथा प्रधान मंत्री के समर्थकों का घेराव करना और प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर जुलूस ले जाना क्या ये बातें लोकतंत्र के अनुकूल हैं । ?

In 1973 Shri Jaya Prakash Narayan asked the students to boycott their schools and colleges and the examinations.

उन्होंने कहा कि विधायकों का घेराव करो और उनका वहिष्कार करो तथा एक समानान्तर विधान सभा बनाओ । उन्होंने लोगों से कर न देने को कहा तथा न्यायालयों का वहिष्कार करने तथा समानान्तर सरकार बनाने को कहा । साथ ही सशस्त्र सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को भी उकसाया ।

In the circumstances it became essential for the Prime Minister to take such a drastic step. As a result it has created a new atmosphere in the country in which there is no sign of strikes and agitations anywhere and everyone is doing his job with a sense of responsibility. It is said that large scale arrests have been made, but if we can save the country by arresting a few individuals. There is nothing wrong in it. The main question is whether the opposition has played the game of democracy in a fair way. Therefore, this motion should be unanimously passed.

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । हम हमेशा ही अव्यवस्था और असंवैधानिक तरीकों के विरुद्ध रहे हैं । भारत-पाकिस्तान युद्ध और चीन के आक्रमण के दौरान आपातकालीन स्थिति में हमने सरकार का समर्थन किया है । इस समय देश आन्तरिक और बाह्य दोनों आक्रमणों का सामना कर रहा है और किसी भी देशभक्त दल का भिन्न दृष्टिकोण नहीं हो सकता है । कुछ उग्रवादी दल गुप्त रीति से हथियार इकट्ठा कर रहे हैं । सेना, पुलिस तथा कर्मचारियों को विद्रोह और हड़ताल करने के लिए कह रहे हैं । विद्यार्थियों को और मजदूरों में व्यापक अनुशासनहीनता है । देश की आर्थिक स्थिति खतरनाक है और कोई भी सरकार ऐसी स्थिति में यह सब सहन नहीं कर सकती है । यही कारण है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है । वास्तव में मूलभूत अधिकार समाप्त किये गये हैं किन्तु आपातकालीन स्थिति में ऐसा करना ही होता है और मुझे आशा है कि यह बहुत थोड़े समय के लिए होगी और इसके उपबन्धों का निष्पक्षता और सोच समझ कर प्रयोग किया जायेगा । यह अधिकारियों के ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उन में से कुछ भ्रष्ट और साम्प्रदायिक हैं ।

[श्री सी० एच० मोहम्मद कोया]

मुस्लिमलीग हमेशा ही प्रगतिशील कानूनों का समर्थन करती रही है। हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और नरेशों की निजी थैलियों की समाप्ति का समर्थन किया है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में सम्मिलित कई कार्यक्रमों को जैसे भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना, कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तथा उनके लिए मकान बनाना, हमने केरल में लागू किये हैं। हमने तमिलनाडु में भी सत्ताधारी दल के साथ प्रधान मंत्री के सुधारों को लागू किया है।

किन्तु गलत सूचना के आधार पर हमारे कुछ कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये हैं। मुझे आशा है कि उन्हें शीघ्र रिहा किया जायेगा। हमने मूलभूत अधिकारों की समाप्ति बहुत थोड़े समय के लिए करने का समर्थन किया है। बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों का रुख 27 वर्ष की आजादी में भी नहीं बदला है अतः हमें सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।

27–5–75 को ओटी में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक संकल्प पास किया जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए हिंसात्मक और आन्दोलनकारी रवैये की आलोचना की है। अतः हमने बहुत पहले ही हिंसात्मक और गैर-सवधानिक तथा गैर–कानूनी साधनों क विरोध किया है ;।

प्रधान मंत्री के आर्थिक कार्यक्रम का स्वागत है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि एक प्रशिक्ष योजना बनाई जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार तथा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाये। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री इससे अवगत हैं और आशा है कि इस दिशा में उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे ।

जीवन बीमा निगम और उद्योगों में अल्पमत वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है अथवा नाममात्र है। यह प्रसन्नता की बात है कि आर्थिक कार्यक्रम में यह लिया गया है। आशा है कि यह शीघ्र क्रियान्वित होगा।

मेरा यह विश्वास है कि आपातकालीन स्थिति आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं रहेगी। आर्थिक कार्यक्रम आपात कालोन स्थिति के विना भी क्रियान्वित हो सकते हैं। में इन शब्दों के साथ संकल्प का समर्थन करता हू।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): When a right is taken away, it is natural that there is resentment. The circumstances which forced the Government to promulgate the emergency were not created in a day. These were the results of the events of the last four or five years. As a result of the elections in 1971 the opposition parties received a rude shock. On account of the popularity of the Congress and the prestige of Smt. Indira Gandhi, the Congress party received an overwhelming mandate from the masses. From that time the opposition parties started a systematic campaign of character assassination against the Prime Minister and levelled wild charges against the Congress Party.

This did not stop at this. The Opposition parties resorted to undemocratic methods and physical force was used against the elected representatives on many occasions. The opposition tried to bring down the dignity and decorum of the House and also the prestige of the Government. A strong and systematic conspiracy to root out democracy from the soil of the country was hatched. These

elements were assisted and aided by foreign agencies which were interested in creating conditions of destabilisation in the country. Students were asked to boycott the classes and the examinations. Police and army were asked to disobey and revolt. But the point is as to who will decide what is to be done and what is not to be done. Baseless rumours are being spread in the country so that people may believe that atrocities are being perpetrated. There are some foreign agencies such as C.I.A. which do not want democracy to function successfully in this country.

Democracy does not mean violence. This all was done in a planned way. The sovereignty was being put to an end and efforts were made to establish dictatorship in its place. But the path we have adopted is for protecting the sovereignty of the country. Therefore, timely action has been taken in order to save the democracy and to maintain law and order within the country. We will continue to take necessary action to that our country marches ahead on the road to democracy and socialism. From this object in view, an economic programme has been placed before the country by the Prime Minister. The aim of the Government is to provide relief to the weaker sections and exploited masses of the Society. More attention will be paid to the backward areas, hilly and desert regions of the country which have so far been neglected. Emergency will be lifted the moment it is found to be unnecessary.

It has been said that all this has happened on the case of the Prime Minister. In fact whatever has been done by the opposition in the country during the last four years has necessitated taking this step. The opposition created conditions in which the business in this House could not be carried further. If the proceedings are seen it will be found that the rightists have never said any word in favour of production. It is because they belong to a class which keeps away from bodily labour. But we aim at providing lowest necessities of life to the workers.

It is now clear that as a result of the measures taken by us the prices of essential commodities have come down. The common man has now some relief and has therefore given his full support to the motion.

श्री त्रिदिब चौधरी : (बरहामपुर) : आपातकालीन स्थिति के नाम पर चारों तरफ़ प्रतिबन्ध लगाया गया है। विरोधी दलों पर जो यह आरोप लगाया गया है कि पिछले चार वर्षों में हिंसा का वातावरण बनाया गया है उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने का वास्तविक कारण क्या है सी० आई०ए० का बार बार नाम लिया गया है। यदि सरकार सी० आई० ए० के बारे में इतनी चिन्तित थी तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की। कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं किन्तु केवल इस बात के लिए कि वे चाहते थे कि श्री जयप्रकाश नारायण के साथ सरकार बातचीत करे। उनकी गिरफ्तारी के कोई कारण नहीं दिये गये हैं। ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस दल के अन्दर कुछ विद्रोह हुआ है और उसके कारण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है।

आज 21 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई है और प्रधान मंत्री ने कहा है कि यद्यपि इसमें नई बात कुछ भी नहीं है किन्तु पुराने कार्यक्रम को पूरा करने की नई प्रतिज्ञा है। किन्तु अपनी सत्ता के गत 25 वर्षों में यह पूरा क्यों नहीं किया गया। क्या वह विरोधी दलों के आन्दोलन

[श्री त्रिदिब चौधरी]

के कारण नहीं किया गया ? 1954 में इस सभा में समाजवादी समाज बनाने के कार्यक्रम सम्बन्धी एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था । किन्तु 25 वर्ष तक कुछ भी नहीं किया गया । यह सरकार जब बनी तो गरीबी हटाने तथा पददलितों को उठाने के वायदे किये गये थे । 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । हमने सरकार का समथन किया । किन्तु आज 6 वर्ष के बाद भी क्या प्रगति हुई है । इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अधिक धनराशि बड़े बड़े व्यापारगृहों को ही दी है । आज वही एकाधिकारी और व्यापारी प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर अपना समर्थन प्रकट करने गये हैं । क्या यही नई प्रतिज्ञा है आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने की ? टाटा और बिरला ने इस आर्थिक कार्यक्रम का स्वागत किया ह । क्या यह सत्य नहीं है कि आपातकालीन स्थिति के बाद भी आज कारखानों में छंटनी, तालाबन्दी हो रही है । प्रधान मंत्री ने राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में केवल यही कहा है कि रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षुता कानून का एक महीने के अन्दर क्रियान्वयन होना चाहिए । तालाब का छंटनी आदि के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है । आपातकालीन स्थिति के नाम पर आज कार्यालयों और बाजारों में डर का वातावरण बनाया गया है । आज यह मालूम नहीं हैं कि कल क्या होगा । समस्त देश में अनिश्चितता और डर की स्थिति बनी हुई है । अतः हम सभी का जो लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं, यह कर्तव्य हो जाता है कि लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को वापिस दिलायें । यह आपातकालीन स्थिति यथा सम्भव शीघ्र समाप्त की जानी चाहिए । यही कारण है कि हम इसका विरोध करते हैं ।

Shri Satpal Kapur (Patiala): For the last 25 years we have been having a democracy in this country. But for the last four years a different meaning of democracy is being taken. Some elements have been coercing elected representatives of the people to resign their seats. In the Parliament all the progressive measures were being blocked from being passed. Democracy does not mean that exploitation of Society should continue. Democracy should not be strengthened on rumours.

Shri Jayaprakash Narayan, who has been leading the movement, has always supported the rightists. Now he has called upon the police and army to disobey and revolt. Is it the democratic right of somebody to ask the army and the police to rebel?

It is said that democratic functioning has been suspended. But the fact is that you had started misusing the normal functioning of democracy. Had there been proper use of democracy this situation would have not arisen.

The intentions of C.P.(M) are not yet clear. Today they have joined hands with those whom they called fascist and communal. Their unity with rightist is not understood.

It is said that R.S.S. is a cultural organisation: what type of cultural organisation it is when it is giving training in the use of weapons and is spreading communal hatred? No cultural organisation will indulge in such activities.

Democracy does not mean that police and the court should be given directions by the Opposition and the press should give a publicity to it.

Declaration of emergency is a timely and right step to check the right wing and it should be extended so that our economic programme is successfully implemented.

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj): Mr. Chairman, I met the Prime Minister on the 30th June and told her that I supported her upto the 25th June but after the proclamation of emergency, I fail to understand how I should defend her. The person who preached the values of democracy throughout her life, finished them herself. Though I cannot find any ground on which to give my support to her for this step, I would like to give one suggestion. Now the emergency has been declared, let this opportunity be used to solve the problems being faced by the country.

I want to make it amply clear that we cannot sell the freedom. She should have taken steps long ago about the implementation of programmes which she has enlisted in her 20-point programme now.

I support the 21-point programme put forth by the Prime Minister. But I would also urge the Government to see that the conditions of labour, particularly in sugar industry is improved so that they might not resort to strike. I have been demanding nationalisation of sugar industry for the last many years. But that has not been conceded to by the Government. It was said that this would be decided in the conference to be held in December. Two years have passed but no conference has so far been held. If it is not possible to nationalise the industry the wages of workers should at least be increased.

I would also like to bring to the notice of the Government the serious situation which the recent floods have created in Uttar Pradesh. People are being evicted from their lands in my State. Corruption is going on as before. It is shocking that police is using emergency power not for arresting corrupt officials, but for arresting members of political parties. There is censorship on the press and the grievances of the people cannot be expressed.

Some amongst the Congressmen are also opposed to this promulgation of emergency because it will confer draconian powers in the hands of Government and will bring dictatorship in the country. I would, therefore, request the Congressmen to vote according to their conscience.

Congressmen with particular reference to Prof. Sher Singh and Shri Santhanam have written letters exhorting members of Parliament not to support the proclamation of emergency. Prof. Sher Singh has said in his letter that if the members of Parliament did not oppose the proclamation and impose the emergency on the nation for two years, this will be considered an anti-democratic and suicidal step on our part because it will lead to authoritarianism and Parliament and parliamentary system of Government can be dispensed with under it.

Shri Santhanam has written:

संसद भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतन्त्रता की संरक्षिका है तथा इसे संविधान का संरक्षण भी करना है । यद्यपि संविधान के अन्तर्गत कार्यपालिका आपात्कालीन स्थिति की घोषणा कर सकती है किन्तु अगर इसे ऐसा करने दिया गया तो यह संविधान के आधारभूत मूल्यों

[Prof. S. L. Saksena]

को नष्ट कर देगी। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रैस की स्वतन्त्रता न केवल लोकतन्त्र के लिये बल्कि सभ्य समाज के लिये आवश्यक है। किन्तु सरकार ने सैंसर लागू कर दिया है इससे हमारी जनता का मनोबल गिरेगा। इसलिये सब को अपनी आत्मा के अनुसार ही उसका समर्थन करना होगा।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): The situation in the country has recently taken such a bad turn that the President felt it necessary to declare emergency in order to control it and give a new direction to the country. There are various kinds of imbalance in the country and the Prime Minister has offered 20-point programme and the present emergency is a fine opportunity to step up production in the farms and factories. The need of the hour today is to go ahead with the implementation of the programme speedily. The present emergency should be utilised to bring about an all-round progress of the country. The Government have no doubt initiated new steps to implement the new economic programme but we all must actively cooperate with them. The present emergency should be utilised to arrest the deteriorating situation in the country. In fact, opposition groups should build up a sincere opposition with a definite programme and firm policies.

[श्री सी० एम० स्टीफन—पीठासीन हुए
Shri C. M. Stephen *in the Chair*]

The present emergency has created a new atmosphere in the country and has offered an opportunity for rethinking on the entire situation. It is also necessary to give a jolt to the country with a view to shake off the stagnation and indiscipline in the country. It is, therefore, expedient that the present emergency be utilised to increase the agricultural and industrial production. But it is not proper on the part of Government to increase the prices of diesel during the Emergency when there is a general demand for lowering down the prices in general. It is a welcome step to bring down the price of fertilizer but one cannot support the increase in prices of coal, iron, cement and diesel during the emergency. However, the imbalances in various Sectors of our economy has to be rectified. Land ceiling has got to be imposed. All help should be given to farmers to increase production.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : संकल्प के प्रस्तावक को यह बताना चाहिये था कि वस्तुतः समस्या क्या है ? यह तो सर्वविदित है कि देश में अनेक भयंकर शक्तियां अपना घृणित कार्य कर रही हैं लेकिन जब सरकार ने संसद् का आपातकालीन सत्र बुलाया है तो वह यहां संसद् में उसे स्पष्ट क्यों नहीं करते और जनता को क्यों नहीं बताते कि देश क शत्रु कौन ह और वे कहां हैं ?

हमें समाचार पत्रों से पता चलता है कि आर० एस० एस० और आनन्द मार्ग के कार्यालयों से अनेक शस्त्र और घातक हथियार बरामद किये गये हैं। एक ने तो षडयंत्र की बात कही है, यह षड़यंत्र कैसा था ? निस्संदेह लोगों के सामने उपस्थित करने के लिये पर्याप्त प्रमाण और यथेष्ट सामग्री है ।

मद्रास में 14 मंजिले भवन में आग की दुर्घटना अत्यन्त सन्देहजनक है। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि एक मंजिल पर आग लगते ह वह सभी मंजिलों में फैल गई और अचानक समूचा

भवन ही आग की लपेट में आ गया। इसके साथ ही बिजली, टेलीफोन के कनैक्शन काट दिये गये और पानी तक नहीं मिला। द्रविड मुनेत्र कढ़गम सरकार में यह सब घटना घटी। इस अग्नि-दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये यह कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिये और पता लगाया जाना चाहिए कि इसके लिये कौन ज़िम्मेदार है।

कल श्री सैझीयान ने कहा है कि उनका दल 1971 के कार्यक्रम का समर्थन करता है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20–सूत्री कार्यक्रम में से 15 मुद्दे तो डी० एम० के० की सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा चुके हैं। लेकिन सम्भवतः ये श्री करुणानिधि की डायरी में क्रियान्वित हुये हैं जनता की नजरों में नहीं हुए हैं और न ही इससे जनता को कोई लाभ हुआ है। तमिलनाडु सरकार को तो उन्हीं समस्याओं का ही सामना करना पड़ रहा है। भूमि सुधार कार्य का क्रियान्वयन उसका मूलाधार है जो हमारी जनता विशेषकर हरिजन, निर्धन किसान और खेतीहर मज़दूर आदि जैसे शोषित वर्गों के लिये अच्छी राहत है। 15 जुलाई को **इकनोमिक टाइम्स** के पत्रकार ने बताया है कि आपात्स्थिति की उद्घोषणा के पश्चात् और आरम्भ किये गये कुछ आर्थिक उपायों के बाद कई राज्यों में मूल्य गिरने लगे हैं लेकिन तमिलनाडु में ऐसी स्थिति नहीं है। वहां ऐसा क्यों है ?

आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन के मार्ग में कुछ अधिकारी बाधा बने हुए हैं हमें उनके रवैये पर काबू पाना चाहिये, आज कुछ अधिकारी सरकार के आर्थिक कार्यक्रमों तथा आर्थिक नीतियों में तोड़ फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

रेलवे की हड़ताल के बारे में सरकार ने कहा है कि उत्पीड़न के सभी मामलों को समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन क्या हुआ है ? कुछ दिन पहले ही दक्षिण रेलवे के 81 कर्मचारियों को मैसूर के डिविज़नल सुपरिंटेंडेंट द्वारा एक मामले में फंसा दिया गया है। कुछ व्यक्ति न केवल सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों में अपितु नौकरशाहों में भी हैं जो इन कार्यक्रमों में तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री एम० वी० कृष्णापा (हस्कोटे) : श्री जगजीवन राम द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प और प्रधान मंत्री द्वारा आपात्कालीन स्थिति की उद्घोषणा करने तथा इस देश में उभर रही घातक शक्तियों को दबाने के उद्देश्य से की गई कठोर कार्यवाही का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

यद्यपि इस देश में लोकतन्त्र है लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी दलों ने आरम्भ से ही लोगों के कष्टों का अनुचित लाभ उठाया है। यहां सर्वप्रथम शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई। इन्होंने कुछ दिन उस समस्या का लाभ उठाया। इसके बाद भाषाई राज्यों की समस्या और अन्य समस्याएं उपस्थित हुईं। यह घातक शक्तियां बहुत पहले से ही इस प्रकार गलत कार्य करने लगीं जिससे ये समस्याएं गत 5 और 6 वर्षों में बढ़ चढ़ कर दिखाई देने लगी थीं। जब प्रधान मंत्री बैंक राष्ट्रीयकरण के माध्यम से आमूल कार्यक्रम लाना चाहती थीं तो निहित स्वार्थों ने विपक्षी दलों से गठजोड़ किया। एकाधिकार और निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, भूमि सुधार और अन्य संवैधानिक संशोधन कानून बनाये गये।

[श्री एम० वी० कृष्णप्पा]

विपक्षी दलों ने संसद में अवरोध किया और देश में कठिनाई पैदा करना चाहते थे। कोई अन्य दल विपक्षी दलों की ऐसी गतिविधियों को कतई सहन नहीं करता। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन सब को सहन किया और उचित समय पर कुछ कदम उठाये और उनके परिणामस्वरूप अब देश में कुछ अनुशासन आया है।

मैं इस प्रकार का अनुशासन इस देश में देखना चाहता था। चीन और सोवियत रूस में इस प्रकार का अनुशासन है। मैं उन देशों में अपनाये गये अनेक सिद्धान्तों से सहमत नहीं हूं किन्तु मैं उन देशों की कुछ बातें अपनाना चाहता हूं। उनमें से प्रथम बात है अनुशासन। हमारे देश में अनुशासन आना चाहिए था अब वह आ गया है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि आपातस्थिति लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रधान मंत्री को इसे सही समय पर लागू करना चाहिये था। मुझे याद है कि बर्मा में श्री अंगरून के सारे मंत्रीमंडल को मशीनगन से उड़ा दिया गया था। क्या यहां पर भी इस प्रकार की घटना होने के बाद ही आपातकालीन स्थिति लागू की जाती ? क्या यहां पर एक मंत्री की हत्या नहीं कर दी गई है ? क्या प्रधान मंत्री पर भी इसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है ? अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि जो श्री जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। अब वह सठिया गये हैं। वह उन बातों को कह रहे हैं जो उन्हें श्री रामनाथ गोयनका और श्री बीजू पटनायक जैसे व्यक्ति कहने के लिये कहते हैं। इन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े भ्रष्टाचार किये। इन लोगों के साथ श्री जयप्रकाश नारायण संसद पर मार्च करते हैं और जनता को दिखाना चाहते हैं कि सरकार भ्रष्ट है उन्हें इस आयु में आकर ऐसा नहीं करना चाहिये था।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): Mr. Chairman Sir, I would like to ask the opposition what they thought about the universally accepted values of democracy. Man's journey from bullet to ballot, from violence to non-violence and tolerance is a great achievement for a democracy. But forces were afoot to negate this achievement.

It is the responsibility of Opposition parties to share the tasks before the nation and to help in tiding over the national crisis. This has happened in the wake of Bangla Desh crisis and Pakistani aggressions but now the Opposition parties have given a call to take issues to the streets instead of discussing them in Parliament and State Legislatures. The Prime Minister has said many a time that the Government want to have an exchange of views with the Opposition parties on every problem. In spite of this attitude of the Prime Minister, the Opposition have adopted that course of action. If the Opposition thought that the path of violence, hatred and non-cooperation is desirable, then the imposition of emergency is a correct step.

The Prime Minister has said that our aim in declaring emergency is to improve the deteriorating situation. If this step has not been taken the people who have given her massive mandate would have asked her as to why she has not taken steps against the elements who wanted to spread anarchy in the country by giving call for strikes and by paralysing the Government and asking the students not to attend the schools and colleges. Emergency would have to be continued till the country is disciplined.

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha): Sir, I cannot understand that if only few people were the trouble makers, was an emergency needed to deal with them? If you have massive support of the people, why are you afraid? Atrocities being perpetrated to-day have even surpassed those of British raj. When some leaders were arrested during the 1942 movement, the news was reported in the newspapers. But now the news of the leaders who have been arrested have not been disclosed. An assurance was given in a letter written to Shri Morarji Desai by Smt. Indira Gandhi that MISA would not be used against the political leaders. But what has happened? Shri Morarji Desai has been arrested under the MISA. Nothing has been disclosed about other arrests. Then you blame that whispering is going on. When nothing is reported in the newspapers, things like this will happen. Shri Morarji Desai is a true Gandhian. Whenever he took fast, it was not without any reason. Government was not inclined to hold elections in Gujarat. You have not shown mercy on him but you knew that if he died, you will be nowhere, so you agreed for elections. Morarji Bhai took fast to put an end to violence of students. The real reason for imposing emergency is the verdict of Allahabad High Court.

The Government talks so much about the economic programme. What obstacles did we put in the implementation of the programme? Who is responsible for the deadlock in the Narmada Water dispute? None except the Central Government. Gujarat is not in your goodbooks. Therefore, we had to deal with the famine problem there. They say that cracks are developing in Gujarat Cabinet. This is not true. In fact you want to create rifts there. But your efforts will prove to be futile. The public opinion is not with you.

Shri M. C. Daga (Pali): The founder fathers of the Constitution did a very wise thing by incorporating in the Constitution Article 352. The present emergency has been declared in conformity with this article to save the country from internal chaos and disorder created by the Opposition parties and certain individuals who are never tired of talking of danger to democracy and socialism. But the real danger to democracy and socialism is from communal organisations which spread hatred and ill-will. Those who are law-abiding people and organisations need not be afraid of the emergency. In fact the people have welcomed this steps. Only those bodies and element should fear the emergency who aim at creating disorder and anarchy in the country.

The opposition is interested only in capturing power by hook or by crook. They have no interest in the welfare of the people. They have been trying to usurp power during the last 27 years but have failed to do so. Now out of despair they have taken to the path of spreading chaos and disorder. The evil designs of the ractionary forces have been set at nought by the timely action of the Government.

Shri Syed Ahmed Aga (Baramula): The declaration of emergency is a timely action. If the Prime Minister had not taken this step a serious situation would have developed in the country. Those who bear ill-will against India had planned to create chaos and anarchy in the country. They made Shrimati Indira Gandhi their target because she has raised the stature of the country and taken several bold and progressive measures which are not liked by certain elements. These forces and elements have tried their best to dislodge Shrimati Indira Gandhi from her office. They adopted all kinds of methods to achieve their objective but have failed miserably. The election of 1971 gave her a massive mandate and all the plans of the anti-Indira forces have been frustrated.

श्री एच० के० एल० भगत पीठासीन हुए

[SHRI H. K. L. BHAGAT *in the Chair*]

The forces of the right reaction are out to create conditions of instability in the country so that they may go ahead with their plans. Is it proper on the part of some of the leaders of the opposition to give suport to such elements? Is this the sense of their patriotism? The steps which the Prime Minister has taken by promulgating this emergency is very necessary to keep the nation united and strong and ensure all round progress in the country.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): श्री जगजीवन राम ने कल जो कुछ कहा उससे कहीं भी यह आभास नहीं मिलता कि आपातस्थिति विद्यमान है। उससे यह भी समझ में नहीं आया कि वस्तुतः आपातस्थिति का स्वरूप क्या है। वास्तव में आपातस्थिति अवास्तविक है। आपातस्थिति लागू करने के कोई कारण नहीं हैं। सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। यह खतरा मात्र काल्पनिक है। संवैधानिक अधिकारों का बुरी तरह दुरुपयोग किया गया है। इसलिये इस संकल्प को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

संसद का मूल प्रयोजन वैयक्तिक स्वतन्त्रता कायम रखना है, यदि कार्यपालिका समझती है कि वह वर्तमान शक्तियों से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और इसलिये उसे और अधिक कानूनी शक्तियां दी जानी चाहिए तो इस मांग को औचित्य सिद्ध करने के लिए उसे पर्याप्त कारण संसद को देने चाहिए तथा संसद को इस के लिये आग्रह करना चाहिए। पर कल प्रस्ताव पेश करते समय न तो मंत्री जी ने और न आज चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए प्रधान मंत्री जी ने ही उन कारणों का उल्लेख किया जिनके लिये उन्हें इस प्रकार के व्यापक अधिकारों की आवश्यकता है। सरकार ने अनुच्छेद 352 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की है। कार्यपालिका जब एक बार इस व्यापक अधिकारों का स्वाद चख लेती है तो वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती? अन्यथा जो बाह्य आपातस्थिति लागू की गई थी उसे अब तक समाप्त कर दिया जाना चाहिए था।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अपराह्न 24 जून तथा 25 जून की शाम के बीच कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आपातस्थिति से सम्बद्ध संवैधानिक उपबन्ध का सहारा लेना पड़ा। क्या यह आन्तरिक आपातस्थिति है अथवा किसी व्यक्ति विशेष की? यह देश की आपातस्थिति है अथवा सत्तारूढ़ दल की? सत्ताधारी दल जिस कठिन स्थिति में फंस गया था उससे निकलने के लिए राष्ट्र को संविधान का उपयोग करने का तरीका यह नहीं है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि आपातस्थिति की घोषणा 25 जून को की गई अथवा 26 जून को। संविधान के निर्माताओं ने इस बात की कभी भी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे संविधान के आपात उपबन्धों का इतनी निर्ममता से प्रयोग किया जायेगा। 26 जून को जो कुछ हुआ वह कानून के अधिपत्य को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। उसी दिन से बड़ी चतुरता से और लगातार संविधान के सभी उपबन्धों को, उसकी प्रस्तावना को, उसमें उपबन्धित मूलभूत अधिकारों को, लोकतंत्री मूल्यों को समाप्त कर ने लिये संविधान काउपयोग किया जा रहा है। मुझे यह कहते

दुःख होता है कि इसके साथ ही भारत का प्रथम गणतंत्र समाप्त हो गया है। संवैधानिक तानाशाही आरम्भ हो गई है। इसी कारण 26 जून इस विकासशील देश के इतिहास का सबसे अधिक दुःखद तथा अधकारमय दिन माना जायेगा। आपातस्थिति की घोषणा से अब तक के 27 दिनों का प्रयोग न केवल वैयक्तिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करने और कम करने के लिये किया गया है अपितु उसे पूर्णतः समाप्त करने के लिये भी किया गया है।

बड़े पैमाने पर नेताओं, संसद सदस्यों, विधायकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दक्षिणपन्थ, वामपन्थ आदि के नाम पर गिरफ्तारी की गई है। इनका क्या कसूर है? कौन सा अपराध किया है इन लोगों ने? उन्होंने सत्य का सहारा लिया और इसीलिये उन्हें जेलों में डाल दिया गया। मेरा अनुरोध है कि गिरफ्तार लोगों के साथ समुचित व्यवहार किया जाये।

प्रैस पर जिस प्रकार का सैंसर लगाया गया है वह अजीब और आसधारण प्रकार का है। जिस प्रकार की सेंसरशिप स्वतंत्र भारत के शासक आज हम पर लगा रहे हैं वैसी सेंसरशिप अंग्रेजों के उस जमाने में भी नहीं लगी थी जब अंग्रेज द्वितीय विश्वयुद्ध में लगे हुए थे और उन्हें एक के बाद दूसरी हार का मुंह देखना पड़ रहा था। क्या यह खुले रूप में तानाशाही की शुरूआत नहीं है? क्या हम लोकतंत्री प्रणाली को समाप्त कर एकदलीय शासन प्रणाली की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? संविधान की भावना व आत्मा क्षत-विक्षत हो चुकी है। न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया है; समाचार-पत्रों का मुंह बन्द कर दिया गया है तथा असंतुष्टों को चुप करा दिया गया है।

सभापति महोदय : श्री कार्तिक उरांव।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं आपातस्थिति की घोषणा का स्वागत करता हूं। देश का राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन ऐसी अवस्था में पहुंच गया था कि लोगों का सामान्य जीवन ही पूर्णतः अस्तव्यस्त हो चुका था। हम श्री जयप्रकाश नारायण तथा उनके अनुयायियों की गतिविधियों से भली भांति अवगत थे। उन्होंने बिहार विधान सभा का घेराव करना चाहा तथा विधायकों को त्याग पत्र देने के लिए विवश किया जिसके परिणामस्वरूप लूटमार, आगजनी और हत्याओं की घटनाएं हुईं। श्री जयप्रकाश नारायण ने बिहार विधान सभा भंग कराने, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को बन्दकराने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, कीमतें में वृद्धि, बेरोजगारी को समाप्त करने की मांग की। इसके बाद विपक्षी दलों ने सामान्य जनजीवन को अस्तव्यस्त करने के लिए रेल हड़ताल की योजना बनाई। लोगों को इस हड़ताल के कारण अवर्णननीय दुख और कष्ट सहने पड़े। सेना और पुलिस को सरकारी आदेश न मानने के लिये भड़काया गया। इन सभी बातों को ध्यान में रख कर देश में आपातस्थिति लागू करनी पड़ी। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतें करता है तो उसे दण्ड देना जरूरी हो जाता है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति बराबर हैं।

[श्री कार्तिक उरांव]

हमारी प्रधान मन्त्री ने बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया है। उन्होंने समय को पहचाना है और सही कदम उठाया है। मैं विरोधी दलों के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस देश के सम्मानित नागरिकों की तरह व्यवहार करें।

Shri Ram Hedoo (Ramtek): The reasons for declaration of emergency by the Government were that the ruling party felt that it was losing grounds and might lose power. The congress has failed to solve the basic problems of the people and they know that the people are not happy with them. In Gujarat election the congress party has suffered a crushing defeat. It has become clear to the ruling party that they can no longer hoodwink the people. The Government has imposed the emergency to mislead the people once more.

To-day the members of opposition and of the ruling party are not free to express their views openly. In such a State of affairs, democracy cannot survive in the country. The opposition members, who have been detained should be allowed to take part in the proceedings of this House. The press should be permitted to report their speeches so that the people come to know the proceedings of Parliament.

Our country is greater than the democracy and the people are greater than the country. There is need to ameliorate the lot of the common people. An honest effort in this direction is needed. If radical changes are necessary to be made in this behalf that should be done. Even if it is necessary to replace the constitution for this purpose, there should be no hitch in doing so. You will have my full support.

Shri Y. P. Mandal (Samastipur): Shri Jayaprakash Narayan and his followers wanted to create chaos and anarchy in the country. Bihar was their first target. Whole of Patna and other cities of Bihar went into flames on 18th March, 1974, when Shri Jayaprakash Narayan experimented his plan. The whole of Bihar came to know that its economy has been shattered. He appealed to the students to boycott their classes and not to attend schools and colleges. The army and the police were asked not to obey the orders of the authorities. The Prime Minister and our Government tolerated all this for a quite long time. But there should be some limit to everything. The Prime Minister has taken timely action by declaring a State of emergency to deal with the threat to internal security. This measure deserves full support.

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): First of all we have to consider the purpose with which the State of emergency has been declared. Has this emergency been imposed to keep the ruling party in power or it has been done so to deal firmly with the forces that are spreading chaos and anarchy in the country? If the emergency is used to ameliorate the lot of the down-trodden, it will have our full support. What is happening is that the capitalists and their agents are taking the benefit of the emergency. The workers, landless people, adivasis, poor people are not getting any benefit from it. The Government should ensure that emergency is used for improving the conditions of the poor people.

Various economic programmes have been drawn by the Congress Party from time to time to implement them for the benefit of the poor people. But the programmes have not been implemented. Capitalists and their agents, bureaucrats and big landlords impede their implementation. I feel the Parliamentary democracy is useless if it cannot improve the conditions of the poor and if it protects the interests of capitalists and vested interests only. If necessary, the present constitution may be changed. In place of the fundamental rights enshrined in our constitution, we should have basic rights to food, work, etc. Private ownership should be abolished during this emergency.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): The Congress party led by the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, got a massive mandate from the people in 1971. After winning overwhelming support from the people, the Government have taken a series of progressive measures, such as nationalization of banks and general insurance, abolition of privy purses, etc., which aim at ameliorating the lot of common people. These measures taken by Government are not to the taking of opposition parties. These elements who did not want that the country sohuld progress exhorted the workers in railways, factories, docks, etc. to go on strike, asked the people to paralyse Government work and preached communal hatred. They adopted all sorts of methods to disrupt the economy of and to break law and order in the country. When these elements did not achieve success, they resorted to extra-constitutional methods by coercing chosen leaders, representatives of the people to resign. They gave a call to the army and police to rebel, and incited the students to stay away from their schools and colleges. These forces also indulged in subversive activities detrimental to the interests of the country.

The proclamation of state of emergency by the President is a welcome step. Already, salutary effects of this measure are evident. There is all round improvement in the functioning of Government machinery. Prices of essential commodities are coming down and peace and order has been restored.

श्री मोहन धारिया (पूना) : 26 जन, 1975 का दिन, जबकि आपातस्थिति की घोषणा की गई, अनेक राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्त्ताओं को जेलों में ठूंस दिया गया, प्रेस और वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई, भारतीय लोकतन्त्र और इतिहास में सबसे अधिक काला दिन माना जायेगा। मैं इस घोषणा की भर्तस्ना करता हूं। बड़े ही व्यवस्थित ढंग से यह प्रचार किया जा रहा है कि आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने में विरोधी दल, उग्रवादी तथा दक्षिणपन्थी रोड़ा अटकाते रहे हैं। क्या यह सच है ? ये सब आर्थिक कार्यक्रम पूरे किये जा सकते थे तथा 1971 और 1972 में चुनाव घोषणा पत्रों में दिये गये आश्वासन पूरे किये जा सकते हैं। यद्यपि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और बंगला देश और शरणार्थियों की समस्याएं थीं फिर भी भूमि की अधिकतम सीमा तथा नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा सहित अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा सकता था। युवकों के रोजगार के कार्यक्रमों को विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ा गया। मैं भी मन्त्रिपरिषद् में था। वहां संघर्ष था। मैंने स्वयं कई बार कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए जोर किया। देश में आज जो स्थिति आई है उसका कारण नेताओं की हिचकिचाहट तथा उनके दोष थे। इसमें सबसे बड़ा दोष प्रधानमन्त्री, उनके कुछ सहयोगियों और सत्ताधारी

[श्री मोहन धारिया]

दल का है। 1971–72 में चुनावों में प्रधान मन्त्री का ठीक रवैया रहा तो दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों को हार खानी पड़ी। अतः नेताओं के दोषों को ध्यान में लाकर विरोधी पक्ष पर दोष लगाना उचित नहीं है।

गुजरात में आन्दोलन विद्यार्थियों ने शुरू किया था बाद में विपक्षी दल उसमें शामिल हुए। मैं सभी प्रकार की हिंसा और अनुशासनहीनता के विरुद्ध हूं और इसे संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यह आन्दोलन क्यों हुआ ? हमने अपने कार्यक्रमों को पूरा नहीं किया और वे पूरे हुए होते तो भारत की आकृति बदल गई होती। 1969 में बंगलौर अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 170 सदस्यों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया किन्तु यह पास नहीं किया गया। फिर जैसे ही प्रधान मन्त्री की राजनीतिक स्थिति को खतरा हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जनता ने जब हमें भारी बहुमत दिया था तो हम कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकते थे। आज जो आर्थिक कार्यक्रम दिये जा रहे हैं—उन्हें प्रधान मन्त्री का कार्यक्रम कहा जा रहा है। यह व्यक्तिवाद क्यों पैदा हो रहा है। देश में तानाशाही बनाने का यह एक तरीका है। चूंकि मैं आर्थिक कार्यक्रमों का हमेशा प्रशंसक रहा हूं, मैं सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार के साथ भले ही मेरा मतभेद हो, इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए पूरा सहयोग रहेगा।

जहां तक 21 सूत्रीय कार्यक्रम का सम्बन्ध है, चूंकि योजना सम्बन्धी प्रक्रिया की अनुपस्थिति में इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सम्भव नहीं है। इनमें राष्ट्रीय परमिट तथा आयकर की सीमा बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रमों को छोड़ कर बाकी सभी पुराने ही कार्यक्रम हैं। ये सब कार्यक्रम आपातकालीन स्थिति लागू किये बिना भी क्रियान्वित हो सकते थे। यह कहना बिल्कुल असत्य है कि इनके लिए आपात-कालीन स्थिति आवश्यक थी। आज देश में जो हालत है उसका कारण कार्यक्रमों को क्रियान्वित न करना है। हमने जो वचन दिये उन्हें पूरा नहीं किया गया और हम अपनी सुविधा के अनुसार काम करते रहे।

सभा की संयुक्त प्रवर समिति ने दल-बदल के विरुद्ध एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दल-बदल को सरकार स्थायी रूप से रोक सकती थी इसमें कोई बाधा नहीं थी। यद्यपि दल-बदल में सभी दलों का अंशदान रहा है किन्तु सत्ताधारी दल की विशेष जिम्मेदारी है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है इस पर सभा का ज्यादा समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। जब 22 संसद् सदस्यों का एक घोटाले में हाथ था तो क्या यह बात विचार करने योग्य नहीं है कि इस सभा में चर्चा के बारे में पूर्वधारणा बनाने के बारे में हम ही जिम्मेदार थे। यदि प्रधान मन्त्री ने श्री एल० एन० मिश्र को छोड़ दिया होता तो एक अमूल्य जीवन और दल की प्रतिष्ठा बच जाती। बिहार के राज्यपाल श्री भण्डारे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार मन्त्रिमण्डल में पांच भ्रष्ट मन्त्री हैं और वे उन्हें शपथ

दिलाने को तैयार नहीं हैं फिर उनको क्यों बने रहने दिया गया। इस प्रकार के अनेक दोष हैं जिन्हें हम क्षमा नहीं कर सकते। आज विरोधी दलों में अपूर्व एकता है। गुजरात के चुनाव ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि अब श्रीमती गांधी के लिए सत्ता, धन और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बावजूद भी लोकतान्त्रिक चुनावों के जरिये सत्ता में बने रहना सम्भव नहीं होगा। किन्तु जलूस और सभाओं के जरिये यह प्रदर्शित किया गया कि श्रीमती गांधी का प्रधानमन्त्री बना रहना आवश्यक है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया।

12 जून का दिन कांग्रेस दल के लिए एक दुख का दिन था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि श्रीमती गांधी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यदि प्रधान मन्त्री ने स्वयं त्याग पत्र दिया होता तो सम्भवत: उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती। अत : मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस अनावश्यक आपातकालीन स्थिति को शीघ्र समाप्त करें और सभी राजनीतिक नेताओं को रिहा कर राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करें। यही लोकतन्त्र का तरीका है। मुझे आशा है कि कांग्रेस के लोग इस बात को समझेंगे।

प्रधान मन्त्री ने जो लोकतन्त्र विरोधी उपाय किये हैं उनसे मुझे यह आभास होता है कि वे शक्ति में मतवाली हो गई हैं और यह सिद्ध करने जा रही हैं वह देश की सबसे महान् महिला हैं। जब तक वे यह समझती हैं कि वे सत्ता में बनी नहीं रह सकती हैं तब तक वे संसद् को भी चलने नहीं देंगी। यह आज एक बड़े दु:ख को बात है। मेरी प्रधान मन्त्री से यह अपील है कि वे जरा उन परम्पराओं पर विचार करें जो उनके पिता श्री जवाहरलाल नेहरू ने तथा अन्य नेताओं ने इस देश को सिखाई हैं। आज भी समय है और यह किया जा सकता है। जमाखोरों, चोर बाजारी करने वालों तथा समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही तो ठीक है किन्तु जहां तक राजनीतिक नेताओं का सम्बन्ध है उन्हें रिहा कीजिए। आपात-कालीन स्थिति के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। जहां तक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तथा देश की उन्नति का सम्बन्ध है मैं इसका पूरा समर्थक हूं। राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होनी जरूरी है। तानाशाही के तरीकों से आप कुछ समय तक सत्ता में बने रह सकते हो किन्तु अधिक समय तक यह नहीं चल सकता है। जनता निश्चित रूप से विद्रोह करेगी। मेरा जनता को यह आह्वान है कि वह इस अत्याचारपूर्ण कार्यवाही का शान्तिप्रिय, अहिंसात्मक और वैध तरीकों से विरोध करें।

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Resolution moved by Shri Jagjivan Ram. I was sure that the opposition leaders would have understood the feelings of the common man in the present situation, but obviously they have not understood them.

I have no doubt about Mr. Dharia. If he loses his temper, it is but natural I have never heard such words from his mouth when he was Minister. The courage being shown and the call being given by him to the people and the

[Shri Ram Chandra Vikal]

youth of the country would have had an importance, if he had tendered his resignation also on the basis of certain programmes. I also know the Ministers writing confidential letters.

श्री मोहन धारिया : सभापति महोदय, अपने मंत्री पद पर रहने के दौरान मैंने एक भी पत्र नहीं लिखा । (**व्यवधान**) ।

सभापति महोदय : उन्हें यह कहने का पूरा अधिकार है । आप कृपया बैठ जाइये । आप नियमों को जानते हैं ;

Shri Ram Chandra Vikal: Mr. Chairman, Sir, the youth of the country have welcomed the economic programme announced by the Prime Minister. Most of the student leaders have now declared that the opposition parties, to which they were affiliated so far, have misled them. Several workers belonging to different parties have also said so and they have left these parties. Shri Dhote had lightly said that the opposition parties are responsible for the present situation. To-day the people also know that if the old man like Jayaprakash Narayan talks such things either for armed forces, Government employees or for police, the people will say that the step taken by the Prime Minister has saved the country from bloody revolution. But some leaders are still not welcoming this step. By taking this step, the Prime Minister has become a great leader of the world. Shri Dharia may have doubt about it. He should read the newspapers of the world and observe the opinion of the country and will see that the entire world is appreciating the Prime Minister.

सभापति महोदय : : मैं समझता हूं कि आप आपात स्थिति की उद्घोषणा पर बोल रहे हैं, न कि श्री धारिया पर ।

Shri Ram Chandra Vikal: Mr. Chairman, Sir, the opposition parties should even now realise their mistake and refrain from doing anything which is against the interest of the nation. They should not support Jayaprakashji who ask the military to revolt. If they do so people will stand with them.

The common man is hearing a sigh of relief with the present situation. There is law and order everywhere. There are no crimes in the country. From all these things it is clear that the step taken by the Prime Minister is a right step.

It is said that this situation has been there since 1967. Why this emergency was not proclaimed at that time? In this respect I may submit that this emergency is like a Homoeopathic medicine which is removing the evil.

With these words I ask the opposition parties to realise that they are responsible for the present situation and I support the Resolution.

सभापति महोदय : श्री धारिया, कृपया सुनिये । यदि आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो आप अध्यक्ष के निदेश 115ग के अन्तर्गत उसकी एक प्रति भेज दीजिये । हम इस पर विचार कर सकते हैं ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : बाबू जगजीवन राम ने कहा है कि उचित कार्यवाही उचित समय पर की जानी चाहिये। यदि यह उचित कार्यवाही होती तो मुझे अपना समथन देने में बड़ी खुशी होती। बाबू जगजीवन राम अपने हाथों को अपने दिल पर रख कर अन्तरात्मा से कहें कि क्या यह उचित कदम है। ऐसी ही अपील मैं कांग्रेस दल के अन्य सदस्यों से करती हूं।

दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मन्त्रियों की आपात स्थिति के बारे में सलाह ली गई ? क्या उन्हें विश्वास में लिया गया ? क्या राष्ट्रपति को स्वयं इसका पता था ? आपात स्थिति आधी रात को आई।

आपात स्थिति घोषित करने से पहले प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव को आपात स्थिति की विद्य मानता के बारे में रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। क्या यह भेजी गई ? क्या किसी मुख्य सचिव ने गम्भीर आन्तरिक खतरे के बारे में कभी बताया ? क्या गृह सचिव से पूछा गया था ?

मुझे खेद है कि हमारे कुछ साथी यह विश्वास करने लगे थे कि इस देश में समाजवाद तीव्र गति से आ रहा है, क्योंकि पूंजीवाद इधर और उधर विभाजित हो गया है। वे स्थिति से लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि साम्यवादी स्वयं लड़ रहे हैं। एकता स्थापित करके सत्ता छीनने के बजाय वे पूंजीवादियों का पक्ष ले रहे हैं। उनका यह विचार है कि समाजवाद शीघ्र आयेगा। समाज कल्याण कार्यक्रम समाजवाद की बात करके लागू नहीं किये जा सकते। इस देश के लोगों को जिस स्थिति में मैं देख रही हूं, उससे मुझे दुःख होता है। यदि लोकतन्त्र या उनके सिद्धान्तों को कोई खतरा होता तो मैं समझ सकती थी। लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं है।

श्री एन० के० मुकर्जी के स्थान पर राजस्थान से श्री खुराना को लाया गया है।

सभापति महोदय : जो लोग इस सभा में उपस्थित न हों, उनके नाम नहीं लिये जाने चाहियें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : वह सत्य कह रही हैं।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : श्री जयप्रकाश नारायण ने ही डाकुओं का सरकार के समक्ष आत्म समर्पण कराया था। उस समय इस सभा में उनकी सभी ने प्रशंसा की थी। आज श्री जयप्रकाश नारायण को जाने क्या क्या कहा जा रहा है बुरे से बुरे अपराधी को भी मुकदमे के माध्यम से न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु उन्हें नहीं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें आक्सीजन पर रखा गया है। रेडियो जनता की सम्पत्ति है और जनता जानना चाहती है कि देश में क्या हो रहा है। आप उनके कानों को बन्द नहीं कर सकते उनकी आत्माओं को नहीं दबा सकते और आत्मा शक्ति को दबाना सुगम कार्य नहीं है।

[श्री टी० लक्ष्मीकान्तम्मा]

अगर कोई व्यक्ति भारत में फैले भ्रष्टाचार की ओर सरकार और जनता का ध्यान दिलाना चाहता है तो उसमें क्या बुरा है । पुलिस के बारे में भी कहा जा रहा है । अभी जनेवा में एक सम्मेलन हुआ है जिसमें पुलिस वालों ने एक संकल्प पारित किया है कि वह अनैतिक आदेशों का पालन नहीं करेंगे । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन में 1930 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय था जिसमें ऐसे पर्चे प्रस्तुत किये गये थे जिनमें पुलिस से यह कहा गया था कि वह तत्कालीन सरकार के अनैतिक आदेशों का पालन न करें । आज अगर कोई यही बात कहता है तो वह अपराधी हो जाता है । जो व्यक्ति डरता है वही एक कैदी है कैदी वह नहीं हैं जिन्हें वास्तव में कैद में रखा जा रहा है । आज सभी डरे हुए हैं और आप पुलिस और सेना को अपने गिर्द रख कर शासन करना चाहते हैं ।

Those who are prisoners keep others in prison and those who are afraid, they create fear for others. This is what Mahatma Gandhi has said.

हो सकता है कि महात्मा गांधी जी का नाम लेना पाप हो । गांधी जी ने कहा है :—

"प्रजातंत्र में सेना पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं रहा जा सकता । जिस प्रजातंत्र में सेना पर निर्भर रहा जाता है वह एक निर्बल प्रजातंत्र होता है । सैनिक शक्ति स्वतंत्र मानसिक विकास में बाधा प्रस्तुत करती है ; यह मनुष्य की आत्मा को कुचल कर रख देती है ।"

These people are playing with the democracy like children.

मैं प्रधान मंत्री से अपील करती हूं कि वह इस मामले पर पुनः सोचें विचारें । नारी होने के नाते वह हमारी नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं । अब उनके वास्तविक स्वभाव का हमें पता लग गया है । किन्तु हम डरने वाले नहीं हैं ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Shrimati Lakshmikanthamma has come out in her true colours. I am happy that out of about 500 members of Congress party, only five members have supported opposition parties. I think the step of proclaiming emergency in the country has been taken at the right time and it is a step in the right direction, but the Government have been forced to take this step because of the misdeeds of the opposition parties.

I can tell what were the programmes of these opposition parties. The socialist Party used to remove English words written on the mile stones and the D.M.K. Party used to paint with coaltar Hindi words written on the mile stones. This was the programme of these parties.

The programme of the Jan Sangh party was to come out with theories like Indianisation of muslims living in India. In case, when an increase of 25 paise is effected in railway fares, they will resort to satyagrah and stage them on

railway lines thus obstructing the rail traffic. Not only this, they have a secret hand in the subversive and violent activities. So it has become necessary to lodge them in jails, in order to avoid the danger which the country was likely to face. If some fanatics act in a wrong way, there can be dire consequences of it. Mahatma Gandhi was murdered by one of these fanatics.

The opposition parties have become frustrated. They had lost all hopes and when they fought elections in Gujarat, they just got 34 per cent votes.

(व्यवधान)

The policy of C.P.(M) had been to dominate intelligentsia. When it was in power in West Bengal, it had given instructions to the police not to give protection to these people when in danger. It is due to their such activities that Government have to take such a step.

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सभापति महोदय, सदन में इस संकल्प पर अनेक सदस्यों ने भाषण दिये हैं । मैं उन विषयों पर विचार करूंगा । जो इस संकल्प के विरोध में उठाये गये हैं ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

तत्पश्चात् लोक-सभा, बुधवार, 23 जुलाई, 1975/1 श्रावण 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 23, 1975/Sravana 1, 1897 (Saka).

GMGIPND—1291 LS—Lino—N.S.—23-9-75—200

LIBRARY
274(8)
3.10.75

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]